जल संसाधन विभाग

सत्यमेव जयते

लोक लेखा समिति-प्रकाशन संख्या-375

बिहार विधान सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्य-366

जल संसाधन विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) की कंडिकाओं पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन।

उपस्थापन की तिथि.......................................

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
नोक लेखा समिति वर्ष 2001-2002	1-2
हालेखाकार, वित्त विभाग कार्यालय वं बिहार विधान सभ सचिवालय	3
क्कथन	4
तिवेदन एवं अनुशंसाएँ	5 से 29
परिशिष्ट.............	30 से 40

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति वर्ष- 2001-2002 ।

सभापति

1.	श्री रामदेव वर्मा,	स0वि0स0

सदस्यगण:

2.	श्री मुनेश्वर चौधरी,	स0वि0स0
3.	श्री रामचन्द्र राय,	स0वि0स0
4.	श्री यदुवंश कुमार यादव,	स0वि0स0
5.	श्री शोभाकान्त मंडल,	स0वि0स0
6.	श्री गिरिधारी यादव,	स0वि0स0
7.	श्री मुनीलाल यादव,	स0वि0स0
8.	श्री प्रेम कुमार,	स0वि0स0
9.	श्री राम नारायण मंडल,	स0वि0स0
10.	श्री प्रभू दयाल सिंह,	स0वि0स0
11.	श्री हरि नारायण सिंह,	स0वि0स0
12.	श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,	स0वि0स0
13.	श्री रामनाथ ठाकुर,	स0वि0स0
14.	श्री चण्डी प्रसाद,	स0वि0प0
15.	श्री बालदेव महतो,	स0वि0प0
16.	प्रो0 नवल किशोर यादव,	स0वि0प0
17.	श्री वालेश्वर सिंह भारती,	स0वि0स0
18.	डा0 मु0 शमीम,	स0वि0प0

लोक लेखा समिति की उप समिति (2) के सदस्यगण:-

सभापति:

1.	श्री रामदेंव वर्मा,	स0वि0स0

संयोजक:

2.	श्री मुनेश्वर चौधरी,	स0वि0स0

सदस्यगण:

3.	श्री रामचन्द्र राय,	स0वि0स0
4.	श्री राम नाथ ठाकुर,	स0वि0स0
5.	श्री मुनी लाल यादव,	स0वि0स0
6.	डा0 मो0 शमीम,	स0वि0प0

महालेखाकार कार्यालय

1. श्री एफ0 कुजूर, प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड, राँची ।
2. श्री वीरेन्द्र कुमार, महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1, बिहार एवं झारखंड, पटना ।
3. श्री मान सिंह, उप महालेखाकार, पटना ।
4. श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
5. श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, पटना ।
6. श्री केदार नाथ प्रसाद सिन्हा, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
7. श्री चन्द्रनाथ मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।
8. श्री ललित शंकर मिश्र, वरीय लेखा परीक्षक, पटना ।

वित्त विभाग

1. श्री एम0 एन0 प्रसाद, वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
2. श्री एस0 के0 केशव, अपर वित्त आयुक्त, बिहार, पटना ।
3. श्री बैद्यनाथ मिश्र, अपर सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना ।
4. श्री फुलेश्वर पासवान, बजट पदाधिकारी सह उप-सचिव

बिहार विधान-सभा सचिवालय

1. श्री जे०पी० पाल, सचिव।
2. श्री ब्रजकिशोर सिंह प्रभात, उप सचिव।
3. श्री राधाकृष्ण रजक, अवर सचिव।
4. श्री त्रिपुरारी प्रसाद, अवर सचिव।
5. श्री जगदेव पासवान, प्रशासी पदाधिकारी।
6. श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी।
7. श्री टेक नारायण झा, प्रशाखा पदाधिकारी।
8. श्री शिवपुजन प्रसाद, प्रशाखा पदाधिकारी।
9. श्री बेचन मंडल, प्रधान टंकक।

प्राक्कथन

जनतांत्रिक संस्थाओं की बजटरी प्रावधानों एवं उसके कार्यान्वयन पर उसकी कड़ी पकड़ ही जनतांत्रिक व्यवस्था का सार तत्व है । आजादी के बाद भारत में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृत्व वैसे लोगों के हाथों में हस्तगत् हुआ जो आजादी के दरम्यान निःस्वार्थ एवं त्याग की भावनाओं से प्रेरित तथ्यों के बीच तपे-तपाये हुये थे । आजादी के लम्बे अर्से तक देश में जनतांत्रिक संस्थाओं का नेतृत्व उनके रहने के कारण एक हद तक नौकरशाही पर अंकुश था । देश की जनतांत्रिक का नेतृत्व करने वालों की पकड़ नौकरशाही पर ढीली होती गई एवं नौकरशाही की दखल अंदाजी बढती गई । साथ ही साथ जनतांत्रिक ताकतों के हाथों से बजटरी प्रावधानों एवं उन पर अंकुश धीरे-धीरे खिसकने लगा ओर वह क्रमशः नौकरशाहों के हाथों में हस्तगत होने लगा जिसके परिणामस्वरूप आज वित्तीय अनियमितताओं का स्पष्ट स्वरूप दिखाई पड़ रहा है।

भारत के संविधान निर्माताओं ने देश के अन्दर जनतांत्रिक ढॉचे के रास्ते को अपनाने के साथ-साथ इस ढॉचे की मजबूती प्रदान करने के इरादे से कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच बजटरी प्रावधानों एवं उनकी छानबीन तथा उन पर अंकुश लगाने का कार्यान्वयन की स्वतंत्र जवाबदेही लोक लेखा समितियों को सौपी है । यह भी विदित है कि लोक लेखा समिति "जनता के तिजोड़ी का नियंत्रक" बताया गया है । इसी रोशनी में बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति ने राज्यहित में इस प्रतिवेदन को तैयार की है। यह प्रतिवेदन दिनांक 6.3.2002 को मुख्य समिति ने सर्वसम्मत से पारित किया।

इस प्रतिवेदन को तैयार करने में जल संसाधन विभाग ने तत्परता दिखाई जिसके कारण समिति आठ बैठकों में वर्ष 1984-85 से 1998-99 तक 15 वर्षो के कंडिकाओं का निष्पादन करने में सफल हुई। अन्य विभागों के लिए जल संसाधन विभाग की तत्परता अनुकरणीय है । समिति पर माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा की विशेष कृपा रही है । इनके अत्यावश्यक सहयोग के बिना यह कार्य सम्पादित नही हो सकता था । इसके लिए समिति के तमाम माननीय सदस्य, सचिव, विधान सभा, लोक लेखा समिति के पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं अनुसेवकों के साथ-साथ रिपोर्टरों, टंकको, वाल्मी के पदाधिकारियों, अभियन्ताओं , कर्मचारियों एवं महालेखाकर के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूँ । इसके लिए विशेषकर सिंचाई विभाग के विशेष सचिव के साथ-साथ वित्त विभाग एवं महालेखाकार के पदाधिकारीगण भी धन्यवाद के पात्र है । अन्त में तमाम सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ ।

रामदेव वर्मा
6.3.2002.

पटनाः-
तिथि 6 मार्च, 2002

रामदेव वर्मा
सभापति
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रतिवेदन

जल संसाधन विभाग

वर्ष 1989-90

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका-1.15

कंडिका -1.15

जलकर के संग्रहरण हेतु लंबित रकम कुल 37. 39 करोड़ रूप्ये थी । इसमें मात्र 1.38 करोड़ वसूली के लिए प्रमाणित की गई । कल 1.01 करोड़ रूप्ये की वसूली न्यायालय/ सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई। कुल 34.94 करोड़ रूपये की वसूली की कार्यवाही के विभिन्न चरणें में थी ।

विभागीय स्पप्टीकरण

विभागीय स्पप्टीकरण अप्राप्त ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

जलकर के संग्रहण के लिए विभाग कार्रवाई करें । उक्त निदेश के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका-2.2.2

कंडिका -2.2.2

जल संसाधन विभाग द्वारा लिया गया 14.22 करोड़ रूपये के आलोक में अनावश्यक साबित हुआ ।

विभागीय स्पप्टीकरण :

अनुपूरक आगणन तैयार करते समय योजना के खर्च के लिए जब प्रस्ताव आता है, तब छोटी से छोटी योजना को ध्यान में रखकर ही आवंटन दिया जाता है । सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लगभग 40 उपशीर्षो के अन्तर्गत आवंटन दिया जाता है । अनुपूरक आगणन का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष के जनवरी महीने में प्राय: दिया जाता है, तब तक सभी उपशीर्षो का लेखा समेकित रूप तैयार नहीं हो पाता है । जिन योजनाओं में निधि की आवश्यकता होती है, उन्ही से संबंधित लघुशीर्ष/उपशीर्षो के अन्तर्गत अनुपूरक आगणन का प्रस्ताव तैयार किया जाता है । इस कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही पता चल पाता है कि समेकित रूप से अनुपूरक धन व्यवस्था आवश्यक अथवा अनावश्यक सिद्ध हुई । भविष्य में विभाग इस बात पर विशेष ध्यान देगा कि अनुपूरक धन व्यवस्था वित्तीय नियम के निदेश के अनुपालन में तैयार किया जाय एवं अनपूरक माँगों को और भी वास्तविक बनाया जाय ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग अपनी बजट की व्यवस्था पर ध्यान रखे जिससे अनुपूरक बजट अनावश्यक सिद्व न हो सके ।
उक्त निदेश के आलोक में समिति इसे अब आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका-2.2.4

कंडिका -2.2. 4

क्रमांक	अनुदान का विवरण	कुल अनुदान	बचत की राशि (करोड़ रू0 में) (धन व्यवस्था का प्रतिशत)	बचत का मुख्य कारण
28	45- वृहत और मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई कमांड क्षेत्र का विकास और बाढ़ नियंत्रण	614.01	83.35 (13.57)	मुख्यत: योजना अधिसीमा में कमी (13.18 करोड़ रूपये), राज्य योजनान्तर्गत योजनाओं के अन्तर्गत निधियों का अधिक प्रावधान (4.48 करोड़ रूपये) भारत सरकार द्वारा लघु सिंचाई के अन्तर्गत एक केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए कम निधि निर्मुक्त करने (5.94 करोड़ रूपये) के कारण । शेष बचत जो कि मुख्यत: वृहत् और मध्यम सिंचाई योजनाओं और बाढ़ नियंत्रण परियोजना के अन्तर्गत हुई, के कारण संसूचित नहीं किये गये (अगस्त 1992) ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

अनुपूरक आगणन तैयार करते समय योजना के खर्च के लिए जब प्रस्ताव आता है, तब छोटी से छोटी योजना को ध्यान में रखकर ही आवंटन दिया जाता है । सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लगभग 40 उपशीर्षो के अन्तर्गत आवंटन दिया जाता है । अनुपूरक आगणन का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष के जनवरी महीने में प्राय: दिया जाता है । तब तक सभी उपशीर्षो का लेखा समेकित रूप से तैयार नहीं हो पाता है । जिन योजनाओं में निधि की आवश्यकता होती है, उन्हीं से संबंधित लघु शीर्ष/उपशीर्ष के अन्तर्गत अनुपूरक आगणन का प्रस्ताव तैयार का वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है । इस कारण वित्तीय वर्ष के समाप्ति पर ही समेकित रूप से पता चल पाता है कि कुल व्यय घाट कर कुल धन व्यवस्था का 10 प्रतिशत से अधिक हो गया । भविष्य में विभाग इस बात पर विशेष ध्यान देगा कि अनुपूरक धन व्यवस्था वित्तीय नियम के निदेश के अनुपालन में तैयार किया जाए एवं अनुपूरक माँगों को और भी वास्तविक बनाया जाय ।

ह0/- अस्पष्ट
सरकार के संयुक्त सचिव,
बजट प्रभारी ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका-2.2.6

कंडिका -2.2.6 - अनुदान संख्या 45 में लगातार तीन वर्षो से बचत देखी गई ।
(करोड़ रूपये में)

	1987-88	1988-89	1989-90
बचत की राशि	1.10	14.69	83.35
प्रतिशत	(12.70)	(22.4)	(13.57)

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

लगातार बचत न हो, इस पर विभाग ध्यान रखे । उक्त निदेश के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका-2.2.9

कंडिका -2.2.9

(क) जैसे ही बचत की सम्भावना मालूम हो वैसे ही नियमानुसार सभी प्रत्याशित बचतों को अभ्यर्पित कर देना चाहिए । 1980-89 के दौरान अभ्यप्रित कए गए 428.58 करोड़ रूपये में से 377.17 करोड़ रू0 (कुल अभ्यर्पण का 88 प्रतिशत) 31 मार्च 1990 को अभ्यर्पित किए गए ।

(ख) अन्यायोचित/अधिक अभ्यर्पण:

बिहार सरकार के विनियोग लेखा 1989-90 में संबंधित अनुदान के नीचे अन्यायोचित/अत्यधिक अभ्यर्पणों के उदाहरण दिए गए है ।

(ग) निम्नलिखित अनुदानों में, प्रत्येक में 1.00 करोड़ रूपये से अधक की बचत अभ्यर्पित रह गयी :

क्रमांक	अनुदान की संख्या और नाम	बचत	अनभ्यर्पित बचतें
21	45- वृहत् और मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, कमांड क्षेत्र का विकास और बाढ़ नियंत्रण	83.35	49.80

विभागीय स्पष्टीकरण

अनुपूरक आगणन तैयार करते समय योजना के खर्च के लिए जब प्रस्ताव जाता हैं, तब छोटी से छोटी योजना को ध्यान मं रखकर ही आवंटन दिया जाता है सिंचाई विभाग के अतर्गत लगभग 40 उपशीर्षो के अन्तर्गत आवंटन जाता है । अनुपूरक आगणन का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष के जनवरी महीने में प्रायःदिया जाता है तबतक सभी उपशीर्षो का लेखा समेकित रूप से तैयार नहीं हो पाता है । जिन योजनाओं में निधि की आवश्यकता होती है, उन्हीं से संबंधित लघुशीर्ष/ उपशीर्ष के अन्तर्गत अनुपूरक, आगणन का प्रस्ताव तैयार किया जाता है । इस कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही पता चल पाता है कि समेकित रूप से अनुपूरक धन व्यवस्था आवश्यक अथवा अनावश्यक सिद्ध हुई । भविष्य में विभाग इस बात पर विशेष ध्यान देगा कि अनुपूरक धन व्यवस्था, वित्तीय नियम के निदेश के अनुपालन में तैयार किया जाय एवं अनुपूरक मांगों को और भी वास्तविक बनाया जाय ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका-2.3

कंडिका -2.3

बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम सिर्फ अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाता है तथा इसमें ऐसे व्यय को सम्मिलित किया जाता है जिनका बजट में प्रावधान नहीं हो तथा जिसे विधायिका के मत प्राप्त करने तक स्थगित रखना सम्भव नहीं है । लेकिन लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि ऐसे अग्रिम की कई संस्वीकृतियां या तो परिचालित ही नहीं की गई या अग्रिम की राशि का भुगतान लेकर उन्हें अभ्यर्पित कर दिया गया । ऐसे अग्रिम की राशि को वर्ष के अन्त तक निधि में वापस हो जाना चाहिए ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

समायोजन समय पर कराने की दिशा में कारवाई करें समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 89-90 (सिविल) कंडिका-2.4- नयी सेवा/ नयी सेवा यंत्र पर व्यय:

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अन्तर्गत ''नयी सेवा'' जिसपर उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण *(अर्थात् बजट) में विचार नहीं किया गया हो और ''सेवा के नए यंत्र''* को विधान मंडल द्वारा प्राधिकृत करने की आवश्यकता है । राज्य लोक लेखा समिति ने अपनी 30वीं रिपोर्ट में ''नयी सेवा'' के रूप में गिनती किए जाने वाले व्यय के लिए आर्थिक सीमा का अनुशंसा की थी । इस प्रकार निर्धारित की गयी *प्रक्रिया के अनुसार एकमुश्त धन व्यवस्था से वित्त पोशित 1.00 लाख रू0* या उससे अधिक की *लागत वाली* सभी योजनाएँ नयी सेवा के रूप में मानी जानी चाहिए और इसकी जानकारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तुरंत बाद विधान मंडल को दी जानी चाहिए । 1.00 लाख रू0 से अधिक की प्रत्याशित लागत वाले *(विद्युत योजनाओं सहित) नये निर्माण कार्यों और 2.00 लाख रू0* से अधिक की *लागत वाले विस्तार* (एक्सटेंशन) और सुधार निर्माण कार्यों को नयी सेवा कहा जायेगा ।

1989-90 के विनियोग लेखें की जाँच रीक्षा से यह उद्घाटित हुआ कि वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यो *पर 496.60 करोड़ रू0 की एकमुश्त धन व्यवस्था में से 375.65* करोड़ रू0 खर्च किया *गया (मूल: 439.13* करोड़ रू0 और अनुपूरक: 57.47 करोड़ रू0) । इन मामलों के विवरण परिशिष्ट-7(6) में दिये गए है । न तो योजनाओं/निर्माण कार्यो के नाम जिसके लिए एक मुश्त धन व्यवस्था की गई थी, बजट में प्रदर्शित की *गई थी न हो* ऐसे मामलों को विधान मंडल की *जानकारी में अब* तक लाया गया है *(अगस्त 1992) ।*

विभागीय स्पष्टीकरण:

विभाग का आय-व्यय लेखा तैयार किये जाने के क्रम में परियोजनाओं के उप-शीर्ष में किये गये उपबंधित *राशि का सही आकलन हीं हो पाने के फलस्वरूप उस उप-शीर्ष* में *किया गया व्यय उपबंधित राशि* से अधिक हो गया । परियोजनाओं के उप-शीर्ष के अन्तर्गत किये गये प्रावधान से अधिक व्यय नयी सेवा कसे अन्तर्गत परिभाषित होना चाहिये था एवं इसकी सूची विधान मंडल को अगले वित्तीय वर्ष में उपलब्ध करानी *चाहिये थी, परन्तु विभाग के प्रक्रियात्मक मूल/त्रुटि के कारण* ऐसा नहीं हो पाया *विभाग इसकी पुनरावृत्ति* नहीं हो, इसका उपाय सुनिश्चित कर लिया है ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश:

आकलन सही हो इसकी कारवाई करें समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका-2.5.2

कंडिका 2.5.2-

अनुदानों /प्रभारित विनियोगों की मांग की अनुसूचि में " राजस्व " और अन्य व्यय " (पूंजीगत ,लोक ऋण आदि) के लिए धन व्यवस्था अलग अलग नहीं दिखलाए गये जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 से 204 के अन्तर्गत अपेक्षित है । अनुदान संख्या 45 में प्रभारित अनुपूरक धन व्यवस्था अनुदान/ विनियोग के दत्तमत्त भाग में शामिल की गई थी

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग- विभाग भविष्य में राजस्व एवं अन्य व्यय के लिए धन व्यवस्था अलग अलग नही दिखाये । उक्त निदेश के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नही चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका-2.5.3

कंडिका 2.5.3- बजट दस्तावेजों में त्रुटियाँ ।

अनुदान संख्या 45 में 1146.55 लाख की कम वितरित रकम अनुदानों/विनियोगों की अनुसूची में प्रदर्शित नहीं किया गया ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग- विभाग वजट दस्तावेज पर ध्यान रखे । उक्त निदेश के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका-2.8

कंडिका 2.8- बचत /आधिक्य का स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होना ।

अनुदान संख्या 45 में बचत एवं आधिक्य के 71 मामलों में इनके कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया । लोक लेखा समिति ने अपने 242 वें प्रतिवेदन में यह अनुशंसा की थी कि बचत एवं आधिक्य का स्पष्टीकरण महालेखाकार कार्यालय में निश्चित रूप से भेज दिया जाय ।

विभागीय स्पष्टीकरण

प्रत्येक वित्तीय वर्ष का बजट तैयार करने का जब योजना के खर्च के लिए प्रस्ताव आता है, तब छोटी से छोटी योजना को देखने के बाद आवंटन संसूचित किया जाता है या सिंचाई विभाग के अन्तर्गत लगभग चालीस उपशीर्ष के अन्तर्गत बहुत से कार्यपालक अभियताओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रमडलों को कार्य संपादन हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है । यही कारण है कि स्पष्टीकरण समय पर नहीं भेजा जा सका । विभाग अब कार्यो का मोनिटरिग सुचारू रूप से कर रहा है । अत: भविष्य में इसकी पुनार्वृति न हो इसके लिये विभाग सचेत है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका-2.9

कंडिका 2.9- 1989-90 के दौरान लेखा कार्यालय के ऑकड़ों से विभागीय ऑकड़ों का समाधान:

विभागीय अधिकारियों द्वारा व्यय पर उचित नियंत्रण रखने हेतु सरकार का स्थाई अनुदेश है कि उनके खातों में दर्ज व्यय की महालेखाकार के खाते में दर्ज ऑकड़ों से समय-समय पर समाधान होना चाहिए ।

इसके बावजूद 1988-89 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में तथा पहले के प्रतिवेदनों में भी विभागीय ऑकड़ों के समाधान न होने की बात को इंगित किया गया था ओर सरकार ने भी इस प्रकार के समाधान की आवश्यकता पर पुन: जोर दिया है, फिर भी इस मामले में नियंत्रण अधिकारियों की ओर से चूक होती रहती है । वर्ष 1989 के दौरान 11.349 विनियोग की इकाईयों में से 2,634 इकाईयों के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 के लेखा के अंतिम संवरण होने तक 34 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय का समाधान सही किया गया था । लगभग 2712 करोड़ रूपये का समाधान नहीं किया गया । समाधान नहीं की गयी राशि का व्योरा विभागवार निम्न प्रकार से है :-

(राशि करोड़ रू0 में)

विभाग	विनियोग की इकाईयों	असमाधानित राशि	लेखा की अवधि जिससे संबंधित है
जल संसाधन विभाग			
सिंचाई	392	138.39	अप्रैल 1989 से मार्च 1990
बाढ़ नियंत्रण	1	9.84	- वही -

विभागीय स्पष्टीकरण:

वर्ष 1989-90 में सिंचाई विभाग के विभिन्न सभी शीर्षो के अन्तर्गत कुल 614.01 करोड़ रूपये का कुल अनुदान स्वीकृत किया गया । जिसके विरूद्ध कुल वास्तविक व्यय 530.66 करोड़ रूपया हुआ है । कुल 148.23 करोड़ रूपये का विभागीय ऑकड़ों का लेखा कार्यालय के ऑकड़ों से समाधान नहीं हो पाया जो कुल व्यय का 27.93 प्रतिशत होता है । भविष्य में व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है किए गये पूरे व्यय के ऑकड़ों का लेखा कार्यालय के ऑकड़ों से समाधान समयानुसार कराया जा सके । इस संदर्भ में सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित किया जा चुका है ।

सिमिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग अपने आंकड़ों का मिलान समय-समय पर महालेखाकार के आंकड़ों से कराने की व्यवस्था करें । उक्त निदेश के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका-4.7

कंडिका 4.7- उत्तर कोयल जलाशय परियोजना:

कंडिका 4.7.1- प्रस्तावना:

केन्द्रीय जल कमीशन को 1964 में सोन नदी की एक उप-नदी, उत्तर कोयल नदी पर एक जलाशय के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था । इसकी सरकार द्वारा 30 करोड़ रूपये के लिए 1972 में प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी । परियोजना को 1.23 लाख हेक्टेयर की सिंचाई के लिए जब 1.42 घान मीटर प्रति सेकेन्ड घरेलू और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जल और सोन बांध में 0.56 लाख हेक्टेयर मीटर के जल को प्रदान करना था । 24 मेंगावट (एम0 डबलू0) के एक जल-विद्युत शक्ति घर भी विचारित था ।

मार्च 1990 तक परियोजना पर व्यय 306.53 करोड़ रू0 था । जबकि बांध और बराज अपूर्ण पड़े थे, परियोजना से कोई लाभ नहीं हो रहा था । परियोजना का 1977-78 तक पूर्ण होना नियम था । अब 1994-95 तक पूर्ण होना सम्भावित है ।

कंडिका -4.7.2-संगठनात्मक ढॉचा: (13)

परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, 2 मुख्य अभियंता, 5 अधीक्षण अभियंता और 21 कार्यपालक अभियंता थे।

कंडिका 4.7.3- (आडिट कवरेज) लेखा परीक्षा विस्तार:

मई से जुलाई और सितम्बर 1990 की अवधि के दौरान मुख्य अभियंताओं, के कार्यालयों डाल्टेनगंज मंडल और मोहम्मदगंज के तीन (सर्किलों) अंचलों और 8 प्रमंडलों में अभिलेखों की नमूना जॉच की गई ।

कंडिका 4.7.4- मुख्य बातें:

अपर्याप्त प्रारम्भिक सर्वेक्षण इत्यादि और मूल्य वृद्धि के कारण कार्यो के क्षेत्र में परिवर्तन के कारण परियोजना की लागत 1972 में 30 करोड़ रू0 से 1985 में 474.10 करोड़ रू0 में संशोधित कर दी गयी

(कंडिका 4.7.5)

- परियोजना जो मूलत: में 1977-78 तक पूर्ण होनी थी जहॉ तक कि सितम्बर 1990 में अपूर्ण थी । जबकि डेम, बराज और मुख्य नहर के सिविल कार्य लगभग पूर्ण हो गये सितम्बर 1990 तक फाटकों का निर्माण (इरेक्शन) पूर्ण नहीं हुआ था । वितरण प्रणाली का निर्माण भी पिछड़ा रहा था .। परियोजना पर मार्च 190 तक 306.53 करोड़ रू0 की राशि का व्यय हुआ ।

(कंडिका 4.7.1 और 4.7.6)

- डैम और बराज में फाटकों को लगाने में विलम्ब के कारण मुख्य नहर के निर्माण पर हुए 963.64 लाख रूपये के व्यय अलाभप्रद हो गया ।

(कंडिका 4.7.6 (i)

- लेखा परीक्षा में नमूना जॉच की गयी 23 संविदाओं में से 20 (प्रत्येक संविदा का मूल्य 50 लाख रू0 या अधिक) 3 माह से 10 वर्षो के विलम्ब से पूर्ण हुए । इन मामला में से 7 में समयावधि से अधिक समय लगने के फलस्वरूप 512.13 लाख रू0 की अधिक लागत हो गयी ।

(कंडिका 4.7.6(iii))

- भेशनजोर डेम के इपाकसी पेंटिंग पर 33.07 लाख रूपये का व्यय हुआ जो आवश्यक नही था ।

(कंडिका 4.7.7 (i))

- आवश्यक जॉच-पड़ताल और विसतृत नक्शा (डिजाईन) के बिना अरर्थन डाईक के निर्माण कार्य की शुरूआत के फलस्वरूप 22.94 लाख रूपये का अलाभप्रद व्यय हुआ ।

(कंडिका 4.7.7(iii))

- बिना सरकारी अनुमोदन के बराज के बॉयी ओर नहर और नदी के बायें तट पर एप्रोच रोड के निर्माण पर 37.85 लाख रूपये व्यय हुआ । सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत निर्माण कार्यो को रोक दिया गया ।

(कंडिका 4.7.7 (iv))

- मानसून के आगमन के तुरत पूर्व प्रत्येयक वर्ष अस्थायी पथ के निर्माण पर हुए 14.45 लाख रूपये के व्यय का कोई औचित्य नहीं था ।

(कंडिका 4.7.7 (v))

- एक प्रमंडल में 113.84 लाख रूपये की सामग्री 7 वर्षो से अधिक समय तम अप्रयुक्त रह गयी ।

(कंडिका 4.7.8 (i)

- भारी मशीनें जो निष्क्रिय थे के परिचालन में कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर 40.74 लाख रूपये खर्च हुए ।

(कंडिका 4.7.8(ii))

कंडिका 4.7.5- परियोजना प्राक्कलन:

परियोजना में निम्नलिखित समाविष्ट थे:-

घटक का नाम	लम्बाई	ऊँचाई	जोत योग्य कमांड एरिया
1. मंडल में मैशोनरी (i)कम-कंक्रीट डैम गेज (ii) और	343 मीटर 820 मीटर	67.86 -	- -
एपरटीनैन्टम यूनिट (ii) उत्तरी कोयल मुख्य नहर	110 किलोमीटर	-	1.23 लाख हेक्टर

1972 में अनुमोदित 30 करोड़ रूपये के मूल प्राक्कलन को 1974-1979 और 1985 में तीन बार संशोधित किए गए । 474.10 करोड़ रूपये के लिए 1985 का तीसरा संशोधित प्राक्कलन केन्द्रीय जल आयोग (सी0डबलू0सी0) द्वारा दिसम्बर 1987 में 439.03 करोड़ रूपये के लिए औपबंधिक रूप से स्वीकृत हुआ जो सरकार द्वारा दिसम्बर 1990 तक औपचारिक रूप से अनुमोदित नहीं किया गया था ।

1979 के प्राक्कलित लागत के उपर पुनरीक्षित प्राक्कलित लागत मूल्य (1985) में वृद्धि के लिए मुख्यत: मूल्यों में वृद्धि कार्य के क्षेत्र और रचना (डिजाइन) में परिवर्तन. पहले के प्राक्कलनों में अपर्याप्त प्रावधानों-जॉच-पड़ताल आदि को उत्तरदायी ठहराया गया । यह देखा गया कि बांध (डैम) की ऊँचाई और चौड़ाई क्रमश: 3 मीटर और 1 मीटर बढ़ गयी थी । डैम के दाहिने पार्श्व पर अरथन डाइक को भी पक्का बांध से परिवर्तित किया गया था । उच्चातमक शाफ्ट (इलेवेटर शाफ्ट) और इन्सट्रूमेंटेशन के लिए प्रावधान, अरिवाह (नन् ओवरफलां) भाग में डैम के उपरी धारा मूल में 3 मीटर कंक्रीटिंग, बराज की रचना और नक्शा नया सर्वेक्षण और जॉच-पड़ताल के फलस्वरूप प्राक्कलित लागत में वृद्धि हुयी ।

कंडिका 4.7.6- कार्य की प्रगति:

मार्च 1990 के अन्त तक डेम बराज ओर नहरों में कार्य की मुख्य मदों में प्रगति निम्नलिखित थी :-

(लाख घन मीटर में)

क्रमांक	घटक/मद	प्रक्कलित-मात्रा	निष्पादित मात्रा	निष्पादित नही हुयी मात्रा का प्रतिशत
1	डेम और डाइक			
	(क) खुदाई			
	(I) डैम	2.74	2.73	शून्य
	(ii) डाइक	0.35	0.45	शून्य
	(ख) गोला पत्थर चिनई			
	(I) डैम	2.61	2.29	12
	(ii) डाइक	0.50	1.42	16
	(ग) कंक्रीटिंग			
	(I) डैम	1.62	1.49	8
	(ii)डाइक	0.21	0.23	शून्य
	(घ) लूम (स्लूस) और अरीय	17	शून्य	100

	(रेडियल) फाटकों को खड़ा करना			
2	बराज			
	(क) मिट्टी कार्य	19.00	19.00	शून्य
	(ख) कंक्रीटीग	3.10	3.08	1
	(ग) फाटकों को खड़ा करना (संख्या)	43	शून्य	00
3	नहरें.			
	(क) मिट्टी कार्य (किलोमीटर)	109.34	19.34	शून्य
	(ख) लाइनिंग (लाख वर्ग मीटर)	23.05	21.41	7
	(ग) वितरिकाएँ(किलोमीटर)	953.31	497.11	48
	(घ) वाटर कोर्सज् (किलोमीटर)	1940.00	200.00	90
	(ड.) संरचनाएँ (निर्माण) (सख्या)	2483	870.00	65

जबकि डैम और बराज में सिविल कार्य पूर्णता के करीब था, अरीय और तूण फाटकों (गेट) को रैडिमल और स्लूइस सितम्बर 1990 तक खड़ा नहीं किया गया था । यह देखा गया कि डेम की रचना,फब्रिकेशन, आपूर्ति और 17 फाटकों को खड़ा करने का कार्य एक एजेन्सी को नवम्बर 1987 और अक्टूबर 1988 में दो बार (स्पेल) में 822.73 लाख रूपये की लागत पर जनवरी 1991 तक पूरा करने के लिए आवंटित किया गया था । एजेन्सी ने सितम्बर 1990 तक 677.79 लाख रूपये की लागत के 11 फाटकों की आपूर्ति को जिन्हें टाइ फलैटस के बेल्डिग किये हुए जोड़ों में एक्स-रे चित्रण जॉच (रेडियाग्राफी टेस्ट) के दौरान पाये गए दोष के कारण खड़ा नहीं किया जा सका । एजेनसी द्वारा दोष का निवारण नहीं किया गया । मामले की कंडिका 4.7.7 (ii) में और भी विस्तार से चर्चा की गयी है ।

बराजमें 43 फाटकों की रचना फेब्रिकेशन, आपूर्ति और खड़ा करने का कार्यतंत्र अन्य एजेन्सियों को जनवरी 1988 और फरवरी 1988 में 626.93 लाख रूपये का लागत पर 24 महीनों में पूरा कने के लिए सौपा गया था । यद्यपि एजेन्सियों ने सभी फाटकों की आपूर्ति कर दी और 359.86 लाख रूपये का भुगतान प्राप्त कर लिया, फाटकों का अधिष्ठापन (संस्थापन)सितम्बर 1990 तक पूर्ण नहीं हुआ था ।

वितरण प्रणाली के निपादन में कमी 48 और 90 प्रतिशत के बीच की सीमा में थी । निम्नलिखित बातें भी पायी गयी:-

(i) दॉयी मुख्य नहर के लिए मिट्टी कार्य का निष्पादन मार्च 1987 में पूर्ण हो गया और नहर में 21.41 लाख वर्ग मीटर क्षेत्रफल में (23.05 लाख वर्ग मीटर के कुल क्षेत्रफल में से) टाइलों का लाइनिंग मार्च 1990 तक निष्पादित हो गयी थी । मार्च 1990 तक नहर के निर्माण पर 963.64 लाख रूपये की रकम का व्यय हुआ ।

डैम और बराज के पूर्ण होने में असामान्य विलम्ब ओर अरीय तथा तून फाटकों को खड़ा नहीं करने, जिनके बिना डेम और बराज में पानी अवरूद्ध नहीं दिया जा सकता था के फलस्वरूप भी तीन वर्षो से अधिक समय के लिए नहर पर व्यय अधिकाशत: अनुत्पादक रह गया । यह भी देखा गया कि यद्यपि परियोजना पूर्ण रूप से आरम्भ ही की गयी थी फिर भी विभाग ने अप्रैल 1987 से अगस्त 1990 के दौरान मरम्मत रख -रखाव और डिसिल्टेशन कार्य पर 140.18 लाख रूपये व्यय किया ।

(ii) 1985-86 से 1989-90 के दौरान परियोजना को स्थापना लागत परियोजना आक्कलन में 10 प्रतिशत के प्रावधान के विरूद्ध कुल निर्माण कार्य व्यय का 17 प्रतिशत परिगणित किया गया ।

(iii) 1980-81 से 1990-91 के दौरान परियोजना के 8 प्रमंडलों में लिये गये प्रत्येक मामले में 50 लाख रूपये ओर उससे उपर के करार मुख्य (सकल मूल्य 5964.46 लाख रूपयें) के साथ 23 निर्माण कार्य विदाओं की समीक्षा ने उद्घाटित किया कि केवल 3 कार्य (करार मूल्य 233.58 लाख रूपये) ही निर्धारित वधि के भीतर पूर्ण किये जा सके, अन्य कार्य के संबंध में पूर्ण होने में विलम्ब 3 माह और 10 वर्षो के

बीच की सीमा में था । विलम्ब, रचना में परिवर्तन, निधियों की अल्पता,सामग्रियों की कमी इत्यादि के कारण हुआ था । सात कार्यो के संबंध में जिनके लिए सूचना उपलब्ध थी असामान्य रूप से अधिक समय लगने के फलस्वरूप 512.13 लाख रूपये की अधिक लागत लगी ।

(iv) विभाग ने बराज के शीर्ष पर एक दीवाल निर्मित कर (अभिलेखों से लागत का पता लगाने योग्य नहीं) 1985 के खरीफ मौसम से अस्थायी सिंचाई सुविधाओं का प्रबन्ध किया । 1989-90 में समाप्त होने वाले 5 वर्षो के दौरान उपलब्ध करायी गयी अत: शक्ति (पौअेशियल) सिंचित किये गये क्षेत्र और कमी निम्नलिखित थी :-

(लाख हेक्टेयर में)

वर्ष	अन्त: शक्ति (पोटेंशियल) उत्पन्न की गयी	उपयोगिता	कमी (प्रतिशत ब्रैकेट में)
1985-86	0.16	0.12	0.04 (25)
1986-87	0.16	0.14	0.01 (13)
1987-88	0.19	0.11	0.08 (42)
1988-89	0.25	0.05	0.20 (80)
1989-90	0.20	0.12	0.08 (40)

अत: शक्ति की उपयोगिता में कमी 13 और 80 प्रतिशत की सीमा में थी और उनके कारणों को नहीं बताया गया । लाभान्वितों से वसूलनीय जल उपकर के मद्दे 45.81 लाख रूप्ये 1985-87 के लिए (78.75 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर पर और उसके पश्चात् 90.50 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर पर) भी दिसम्बर 1990 तक वसूल नहीं किया गया था । उप समाहर्त्ता, राजस्व प्रमंडल, औरंगाबाद ने बताया (जून 1989) कि सरकारी अधिसूचना की अनुपस्थिति और स्टाफ की कमी के कारण लाभान्वितों से मांग का निर्धारण और वसूली नहीं की जा सकी ।

कंडिका- 4.7.7- कार्यावयन

(i) मंडल में मुख्य बांध का निर्माण कार्य चार एजेन्सियों को जनवरी 1983 में 2085.10 लाख रूपये के लिए सौपा गया था । एजेन्सियों ने निर्माण कार्य दिसम्बर 1987 तक पूरा कर दिया । तथापि, अंतिम पारगम्यता जॉच (परिमियाबिलिटी टेस्ट) नहीं की जा सकी क्योंकि फाटकों को खड़ा करने में विलम्ब के कारण बांध में जल अवरूद्ध नहीं किया जा सकता था । इसी बीच पक्का बांध में 0.12 लाख वर्गमीटर के एक क्षेत्र की 33.07 लाख रूपये की लागत पर इपाक्सी पेंटिंग करवायी गयी । अधीक्षण अभियंता, बांध निर्माण अंचल ने और बातों के साथ-साथ बताया (सितम्बर 1990) कि एपाक्सी पेंटिंग की कोई आवश्यकता नही थी और केन्द्रीय जल आयोग के बांध सुरक्षा सेल के अनुमोदन के वगैर यह कार्य लिया गया । अत: 33.07 लाख रूपये का व्यय परिहार्य था ।

(ii) जुलाई 1987 में सरकार ने डैम में संरचना फैब्रिकेशन,आपूर्ति और 17 फाटकों की स्थापना और इनकी शुरूआत के कार्य हेतु फर्म "एक्स" की 822.73 लाख रूपये के लिए न्यूनतम निविदा (प्राप्त हुए तीन निविदाओं में से) को स्वीकृत किया । निविदाओं में न्यूनतम दरों के वर्करों की मासिक मजदूरी में वृद्धि के लिए मूल्य परिवर्तन घाटा भी शामिल था । फर्म "एक्स" के प्रस्ताव में न्यूनतम दरों के वर्करों का 661.08 रूपया प्रति माह के मजदूरी दर के आधार पर हल किया हुआ श्रम शुल्कों का 263.89 लाख रूपया (औसत में 15.52 लाख रूपया प्रति गेट) शामिल था । अन्य दो निविदाकर्त्ताओं द्वारा उद्धत (कोटेज) रकमें जो कि 1361.78 रूपये और 1214.10 रूपये प्रति माह के मजदूरी दरों पर आधारित थी क्रमश: 827.09 लाख और 1332.45 लाख रूपये थी ।

फर्म "एक्स" ने अभी तक 11 फाटकों की आपूर्ति की थी (सिताम्बर 1990) फर्म "एक्स" ने दिसम्बर 1987 से विभिन्न तिथियों पर न्यूनतम दर के वर्करों की मजदूरी दर में वृद्धि के कारण जुलाई 1989 में एक दावा भी प्रस्तुत किया था । विभाग द्वारा मासिक मजदूरी में वृद्धि के कारण कुल उत्तरदायित्व को अभी भी

परिगणित करना था । परन्तु मासिक मजदूरी 661.08 रूपया जैसा कि निविदा में उद्धत किया गया था से 1,227.09 रूपया बढ़ गयी, दिखायी गयी थी और फर्म को जनवरी 1990 में 130.90 लाख रूपये का भुगतान कर दिया गया था । परिगणित करने पर यह स्वीकार की गयी निविदा के अनुसार 15.52 लाख रूपया प्रति फाटक के विरूद्ध अभी तक आपूर्त 11 फाटकों के लिए 11.9 लाख रूपया प्रति फाटक की अतिरक्त रकम हुयी । मुल अतिरिक्त लागत का पता कार्य पूर्ण होने पर चलेगा । संयुक्त श्रम आयुक्त, राजस्थान सरकार द्वारा उनके व्यक्तिगत हैसियत से प्रस्तुत किए गए "सू मोटो" प्रमाण पत्र के आधार पर दावा भी स्वीकार किया गया । किसी भी फाटक को, जोड़ों में पाये गये दोषों, जिनकी ठीक नहीं किया गया के कारण संस्थापित नहीं किया जा सका ।

(iii) मंडल कमें दॉयी छोटी पहाड़ी की उँचाई पक्का बांध के संरचित शिखर स्तर से नीची थी । इस कमी का पूरा करने के लिए 94.16 लाख रूपये (1982 में 190.25 लाख रूपये में संशोधित) की प्राक्कलित लागत पर एक अरथेन डाइक निर्मित करने का प्रस्ताव किया गया था । कार्य 1978 में शुरू हुआ था परन्तु अब कुछ आधार (नींव) और डिजाइन की समस्याएँ उत्पन्न हुयी, मामला जून 1981 में सी0डबलू0सी0 को संदर्भित कर दिया गया ।

सी0डबलू0सी0 ने यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि क्या प्रस्तावित अरथेन डाइक के बदले में एक पक्का डाइक निर्मित किया जा सकता था और भी भू वैज्ञानिक जॉच पड़ताल का सुझाव दिया । अंतिम भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट के प्राप्त होने पर सी0डबलू0सी0 ने अक्टूबर 1981 में निश्चित किया कि पक्का डाइक की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

मार्च 1982 तक अरथेन डाइक के निर्माण पर 22.94 लाख रूपये का व्यय हुआ । उसके पश्चात् कार्य रोकर दिया गया । अतः आवश्यक जॉच-पड़ताल और विसतृत डिजाइन तैयार किए बिना सी0ई0 द्वारा जल्दवाजी में कार्य आरम्भ करने के फलस्वरूप अलाभप्रद व्यय हुआ ।

(iv) स्वीकृत प्राक्कलन में बांध (बैराज) की बॉयी ओर नहर के निर्माण की व्यवस्था नहीं थी तथापि बांध (बैराज) की बॉयी ओर नहर के निर्माण को मुख्य अभिंयता द्वारा अगस्त 1987 में सरकार या केन्द्रीय जल आयोग के अनुमोदन के बिना संस्वीकृत किया गया । सर्वेक्षण ओर अन्वेपण पर 2.17 लाख रूपये सहित 15.24 लाख रूपये के व्यय के पश्चात् सरकार द्वारा अगस्त 1989 में आगे कार्यान्वियन रोक दिया गया । अलावे यद्यपि नदी के दॉयें किनारे पर डेहरी से बांध(बैराज) स्थल तक निर्माण सामग्रियों की ढुलाई को सरल बनाने के लिए एक पहुँच पथ (एप्रोच रोड) और एक रेलवे लाइन पहले से ही विद्यमान थी, विभाग ने 33 लाख रूपये की प्राक्कलित लागत पर नदी के बॉयें और एक अन्य पहुँच पथ (एप्रोच रोड) का निर्माण कार्य ले लिया । 22.64 लाख रूपये का व्यय होने के बाद सरकारी आदेशों के तहत कार्य रोक दिया गया । अतः सरकारी अनुमोदन के बिना मुख्य कार्यो को लेने में मुख्य अभियंता के गलत निर्णय के फलस्वरूप 37. 85 लाख रूपये का परिहार्य निश्फल व्यय हुआ ।

(v) 1986-90 के दौरान बैराज के विभिन्न कार्य स्थलों पर प्लांट्स और मशीनरी तथा निर्माण सामग्रियों के परिवहन को सरल बनाने के लिए 14.45 लाख रूपये की कुल लागत पर प्रत्येक वर्ष मानसून के प्रारम्भ के ठीक पहले मई और जून के मध्य पूर्ण किया गया जिसका कोई औचित्य नहीं था ।

(vi) नहर की उपरी धारा पर स्थित हैदरनगर प्रमंडल द्वारा 1987 की वर्षा ऋतु के दौरान आसन्न बाढ़ जल और दॉयी मुख्य नहर को परिणामी खतरे की अग्रिम चेतावनी देने के बावजूद जपला प्रमंडल निकास चैनेल के फाटकों को खोलने में विफल रहा क्योंकि इन्हें ठीक ढंग से नहीं रखा गया था । इसके परिणमस्वरूप जल के परिवाह (ओवरफ्लो) के कारण तटबंध में दरारें पड़ गयी । 1987-89 के दौरान क्षति की मरम्मत पर 6. 21 लाख रूपये की रकम लगी ।

(vii) मंडल में बांध (डैम) के दॉये पक्का डाइक के निर्माण के लिए लेटर ऑफ इंडेंट (अप्रील 1987) के अनुसार सामग्री की लागत में वृद्धि के कारण से मूल्य में परिवर्तन निर्माण एजेन्सी यथा, बिहार राज्य निर्माण निगम का केवल उन सामग्रियों के सम्बन्ध में जो अनुबध की तिथि के पश्चात् अर्थात् जुलाई 1987 से बढ़ी

हुई दरों पर खरीदे गये थे, भुगतेय था, तथापि यह देखा गया कि निगम को निविदा की तिथि (जून 1986) पर प्रचलित मूल्य तालिका (प्राइस इन्डेक्स) के आधार पर सामग्रियों के लिए मूल्य समायोजन के कारण से भुगतान किया गया था । इसके फलस्वरूप जुलाई 1990 तक 3.10 लाख रूपये का अनियमित और अमान्य भुगतान हुआ । निगम से रकम की वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

कंडिका- 7. भंडार और उपस्कर:

(I) कैम्प एवं स्टोर प्रमंडल, बरवाडीह (एक प्रमुख स्टॉक होल्डिग इकाई) के भंडार लेखा के अभिलेखों की नमूना जॉंचने उद्घाटित किया कि 113.84 लाख रूपये मूल्य की निम्नलिखित सामग्रियों भंडार में अक्टूबर 1983 से पड़ी हुई थी (प्राप्ति की तिथि उपलब्ध नहीं) ।

क्रमांक	विवरण	मात्रा	मूल्य
1	विभिन्न साइजों के एम0एस0 राड्स/प्लेट्स ज्वाईन्टस,शीट्स, पाइसल आदि	2,016 टन	111.03
2	कार्स्ट आयरन प्रेसर रिलीज वाल्व	400 नं0	1.14
3	पी0वी0सी0 प्रेसर रिलीज वाल्व	1600 नं0	1.67
	कुल		113.84

(ii) (यांत्रिक (मेकेनिकल) प्रमंडल, मंडल के अभिलेखों की संवीक्षा ने उद्घाटित किया कि अन्य परियोजनाओं से स्थानान्तरण पत्र प्रात हुई 41 भारी मशीनें जैसे डोजर ग्रेडर, डम्पर, हाट मिक्स प्लांट, शोभल, वाचिंग कम क्रशिंग प्लांट आदि । 1985-86से ही निष्क्रिय पड़ी थी । फिर भी इन भारी मशीनों के परिचालन स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर 40.74 लाख रूपये का व्यय हुआ यद्यपि ये निष्क्रिय पड़े रहे ।

(iii) कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमंडल, मंडल और औरंगाबाद द्वारा प्रस्तुत आपाती (इमरजेंट) पर निदेशक, क्रय एवं परिवहन (डी0पी.टी0) ने मार्च और जून 1988 में एक डोजर को पैपर लैम्पस में प्रयोग हेतु 2,595 रूप्ये प्रत्येक की दर पर 240 फलप्स मे चौकी की आपूर्ति हेतु निर्गत किया । फर्म ने स्थानीय करों सहित 6.60 लाख रूपये की लागत पर प्रेपिनी प्रमंडलों को की आपूर्ति मार्च और जुलाई 1988 में कर दी । यह पाया गया कि नवम्बर 1987 में डी0पी0टी0 द्वारा आदेशों के आधार पर प्रेषित प्रमंडल द्वारा 1,540 रूपये की इकाई (यूनिट) लागत पर उसी कार्य फर्म के उँचे वाट (400) वाट के 50 वैसे ही चौकों को प्राप्त किया गया । असामान्य रूप से उँची सामग्रियों को प्राप्त करने के कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे । नवम्बर 1987 के दर की तुलना में और जुलाई 1988 में 240 चौकों को प्रापत करने में अतिरिक्त व्यय 2.63 लाख रूप्ये परिगणित हुआ । और भी देखा गया कि मार्च और जुलाई 1988 में प्राप्त किये गये 240 चौकों में से प्रयुक्त चौकों की 4 थी और 6.12 लाख रूपये मूल्य की शेष मात्रा भंडार में अभी भी पड़ी हुई थी, यद्यपि खरीद आपाती के आधार पर की गयी थी ।

(iv) डेहरी रेलवे स्टेशन पर जनवरी 1986 में प्रप्त हुए 840 टन सीमेंट में से 24 टन अन्य परियोजनाओं के उपयोग हेतु स्थानान्तरित किए गए । 770 टन 3 ढुलाई ठेकेदारों ''क'' ''ख'' और ''ग'' को लगाकर 0.79 लाख की लागत पर मुहम्मदगंज सहित किए गए और 46 टन विभागीय ट्रकों द्वारा पाहित किए गए । प्राप्ति के सामग्री को उप-प्रमंडल संख्या-3 मुहम्मदगंज के भंडार लेखों में दर्ज किया गया और ठेकेदारों को अक्टूबर में भुगतान किया गया । तथापि यह देखा गया कि उसी प्रेक्षित माल की ढुलाई के लिए कार्यपालक अभियंता नहर प्रमंडल, मुहम्मदगंज ने भी उसी समय में 845 टन की प्रतिवेदित (रिपार्टेड) ढुलाई के लिए ठेकेदार ''एक्स'' के साथ अन्य दो अलग अनुबंध किया और उसे मार्च 1987 में 0.91 लाख रू0 का भुगतान किया । सामग्रियों की पाप्ति किसी उप-प्रमंडल के भंडार लेखों में दर्ज नहीं पायी गयी और ठेकेदार

को माप पुस्तक में प्रविष्टियों के आधार पर भुगतान किया गया । अधीक्षण अभियंता बराज अंचल, मुहम्मदगंज कि मामले में उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कार्यवाही विचाराधीन है, यह जनवरी 1991तक की गयी थी ।

(v) भंडारों की कमी:

भंडारों के प्रभारी कनिष्ठ अभियंता (जे0ई0) बराज प्रमंडल की संख्या-3 मुहम्मदगंज ने दिसम्बर 1982 भंडार की विवरणियाँ (रिटर्नस) प्रस्तुत नही की थी । एस0डी0ओ0 ने जून 1985 में इसे कार्यपालक अभियंता (ई0ई0) के ध्यान में लाया । फिर भी ई0ई0 ने जे0ई0 को स्थानान्तरण पर कार्य मुक्त होने की प्रति दी । जे0ई0 द्वारा रखे गए भंडारों का भौतिक सत्यापन करने के लिए अधीक्षण अभियंता (एस0ई0) अंचल के अनुदेशों (जून 1985) का भी ई0ई0 द्वारा पालन नहीं किया गया । दो वर्षो की एक और के पश्चात् और एस0ई0 से नये अनुदेशों को प्राप्ति कर (अगस्त 1987) दिसम्बर 1982 का समाप्ति पर पुस्तक शेष (बैक बैल्ग) के आधार पर भौतिक सत्यापन किया गया जिमने स्टाफ में रखे 121 मदों आईटमोमं) में से 69 मदों (आइटमों) में कमी को उद्घाटित किया । विभाग द्वारा भंडार के प्रत्येक मद में का मूल्य परिगणित नहीं किया गया । जनवरी 1983 के आगे से भंडार लेखा को अपडेट करने के लिए भंडार की वास्तविक कमी को परिगणित करने के लिए कोई अनुवर्ती कार्यवाही दिसम्बर 1990 तक नहीं की थी ।

ममला सरकार को नवम्बर 1990 में संदर्भित किया गया, उत्तर प्रापत नहीं हुआ (अगस्त 1992)

लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अप्रयाप्त सर्वेक्षण, मूल्य वृद्दि और कार्यो के क्षेत्र में परिवर्त्तन के कारण उत्तर कोयल नदी पर एक जलाशय के निर्माण परियोजना की लागत जो 1972 में 30 करोड़ रूपये का अनुमान लगायागया था, 1985 में संशोधित कर 474.10 करोड़ रूपये हो गया ।

कंडिका-4.7.6

4.7.6 कार्य की प्रगति

परियोजना जो मूलत: 1977-78 तक पूर्ण होनी थी वह सितम्बर 1990 तक अपूर्ण थी जबकि डैम, वैराज और मुख्य नहर के सिविल कार्य लगभग पूर्ण हो. गये थे ।सितम्बर 1990 तक फाटकों की निर्माण पूर्ण हो गया था लेकिन वे खड़े नहीं किये जा सके थे । वितरण प्रणाली का निर्माण भी पिछड़ा हुआ था । परियोजना पर मार्च 1990 तक 306.53 करोड रूपये की राशि का व्यय हुआ था ।

(1) दायी मुख्य नहर के लिए मिट्टी कार्य का निष्पादन मार्च 1987 में तथा नहर से 21.41 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में टाइलों की लाइनिंग मार्च 1990 तक निष्पादित हो गयी थी । मार्च 1990 तक नहर निर्माण पर 96.64 लाख रूपये का व्यय हुआ । डैम और बराज के पूर्ण होने में असमान्य विलम्ब और भरीय तथा तून फाटकों को खड़ा नहीं होने के कारण डैम और बराज में पानी का संचय नहीं किया जा सकता था फलस्वरूप उस पर किया गया व्यय तीन वर्षो तक अनुत्वादक रह गया । यह भी देखा गया कि परियोजना पूर्ण नहीं हुयी लेकिन उसके रख रखाव पर अप्रील 1987 सें अगस्त 1990 के दौरान 140.18 लाख रूपये व्यय किया गया ।

कंडिका-4.7.7

कंडिका 4.7.7- कार्यान्वयन

(i) मंडल में मुख्य बांध जो 1983 में 2085.10 लाख रूपये के लागत मूल्य में चार संवेदकों को सौपा गया था दिसम्बर 1987 में पूर्ण कर दिया गया था लेकिन फाटक खड़ा करने में विलम्ब के कारण अंतिम परिगव्यता जाँन (परमिए विलाटी) टेस्ट नही किया जा सका । इसी बीन पका बांध 0.12 लाख वर्गमीटर क्षेत्र में 33.07 लाख की लागत से इपाक्सी बेन्टिक करा ली गयी जिसकी आवश्यकता नहीं थी और जिसका

अनुमोदन भी केन्द्रीय जल आयोग के बांध सुरक्षा सेल से नहीं लिया गया । इस तरह 330.07 लाख रूपये का परिहार्य व्यय हुआ ।

(ii) सरकार ने डैम में संरचना फैब्रिकेशन आपूर्त्ति और 17 फाटकों की स्थापना और उनके शुरूआत के कार्य हेतु एक फर्म की 822.73 लाख रूपए की न्यूनतम निविदा स्वीकार किया । जुलाई 1987 में निविदा में न्यूनतम दरों के वर्करों की मासिक मजदूरी में वृद्वि के लिए मूल्यवृद्वि पाटा भी शामिल था इस तरह प्रति गेट 15.52 लाख. रूपया संवेदक को भुगतेय यथा सितम्बर 1990 तक फर्म ने केवल 11 फाटकों की आपूर्ति की थी साथ ही साथ फार्म ने विभिन्न तिथियों पर वर्करों की मजदूरी दर में वृद्वि के कारण एक दावा भी जुलाई 1989 में प्रस्तुत किया था जिनके अनुसार मासिक मजदूरी निविदा में उद्धत 661.08 रूपया से बढ़ कर 1227.09 रूपये हो गयी और इसके विरू फर्म को 1990 से 130.90 लाख रूपये का भुगतान भी कर दिया गया था इस तरह अभी तक आपूर्त्ति किए गए । फाटकों के लिए निविदा में उद्धृत दर में प्रति फाटक 11.9 लाख रूपए वृद्वि हो गई । किसी भी फाटक को जोड़ों में पाए गए दोषों के कारण संस्थापित नहीं किया जा सका ।

(iii) मंडल दायां छोटी पहाड़ी की उंचाई पक्का बांध के संरचित शिखर से नीची थी इस कमी को दूर करने के लिए 94.16 लाख रूपए की प्राक्कलित लागत जो 1992 में संशोधित हो कर 190.25 लाख रूपये हो गयी से एक अर्थेन डाइक बनाने की प्रस्ताव किया गया, कार्य 1978 में शुरू हुआ जो तकनीकी और डिजाइन संबंधि दोषों के कारण सी0डब्लू0सी0 का सहमति किया गया जो अर्थेन डाइक के बदले पक्का डाइक निमार्ण के और अधिक जॉच का सुझाव दिया, मार्च 1982 तक अर्थेम डाइक के निमार्ण पर 22.94 लाख रूपए व्यय हो चुके थे उसके बाद कार्य रोक दिया गया । इस तरह मुख्य अभियंता द्वारा बिना आवश्यक जाँच पड़ताल के ही जल्दबाजी में काम कराने के फलस्वरूप 22.94 लाख रूपए का अलाभ्प्रद व्यय हुआ ।

(iv) स्वीकृत प्राक्कलन में (वैराज) की बॉयी ओर नहर निमार्ण की व्यवस्था नही थी फिर भी मुख्य अभियंता द्वारा सरकार या केन्द्रीय जल आयोग की सहमति या अनुमोदन के बिना ही बॉध के बांयी ओर नहर निमार्ण की संस्वींकृति दिया गया । सर्वेक्षण और अन्वेशण पर 2.17 लाख सहित 15.21 लाख रूपये व्यय करने के बाद सरकार ने अगस्त 1989 में काम रोक दिया ।

नदी के किनारे पर डेहरी से वैराज तक एक पहुँच पथ पहले से ही मौजूद थी फिर भी विभाग द्वारा 33 लाख की प्राक्कलित लागत पर नदी की वांयी ओर एक और पहुँच पथ निमार्ण का कार्य लिया गया जिस पर 22.64 लाख रूपये व्यय करने के बाद सरकारी आदेशों के तहत कार्य रोक दिया गया इस प्रकार सरकारी अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही मुख्य अभियंता द्वारा गलत निर्णय के फलस्वरूप 37.8 लाख का परिहार्य व्यय हुआ ।

(v) 1986-87,1989-90 के दौरान विभिन्न कार्यस्थलों पर मशीनों और निमार्ण सामग्रियों को ढ़ोने के लिए कुल 14.45 लाख रूपए की लागत पर प्रत्येक वर्ष मानसून के आरंभ के ठीक पहले अस्थायी सड़कों का निर्माण किया जाता था सड़के प्रत्येक वर्ष मानसून के शुरू होने के पहले मई, जून में पूर्ण होती थी जिस पर कार्य नही हो पाता था और उनके लागत खर्च का कोई औचित्य नहीं होता था ।

(vi) नहर के उपरी धारा पर स्थित हैदरनगर प्रमदल द्वारा 1987 को वर्षा ऋतु के दौरान बाढ़ जल और, वॉयी मुख्य नहर की परिणामी खतरे की चेतावनी देने के बावजूद जपला प्रमंडल निवास फाटकों को खोलने

में असफल रहा क्योंकि डेनको ठीक ढ़ंग से नही रखा गया था फलस्वरूप जल प्रवाह के कारण तटबन्ध टूट गये इनकी मरम्मत पर 6.21 लाख रूपए की लागत आयी ।

(vii) मंडल के बॉध (डैम) के बॉए पक्का डाइक निर्माण के लेटर आफ इन्डेन्ट (अप्रैल 1987)के अनुसार खरीदे गए सामग्रियों के मूल्य में वृद्वि केवल निविदा के बाद की तिथि यानी जून 1986 के बाद के खरीदे गए सामानों पर ही भुगतेय था, लेकिन लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि मूल्य वृद्वि उन पर लागू किया गया जो जून 1986 के पहले की खरीदी गयी थी इस प्रकार जुलाई 1990 तक 3.10 लाख रूपए का अनियमित और अमान्य भुगतान किया गया वसूली की कार्रवायी भी नहीं की गयी थी ।

कंडिका 4.7.8 भण्डार और उपस्कर

(i) कैम्प एवं स्टोर प्रमंडल बरवाडीह (एक प्रमुख स्टॉक होल्डींग इकाई) के भण्डार लेखा के अभिलेखें की नमूना जांच में यह पाया गया कि 113.84 लाख रूपए मूल्य का सामग्रियाँ 1983 से पड़ी हुई थी उनकी प्रति की तिथि उपलब्ध नहीं थी ।

(ii) यांत्रिक (मेकनिकल) प्रमंडल, मडल के अभिलेखों के संविज्ञा के दौरान पाया गया कि अन्य परियोजनाओं से स्थानान्तरित होकर आई हुई 41 भारी मशीने 1985-86 से ही निष्क्रिय पड़ी हुई थी, जब कि उनके परिचालन स्टाफ के वेतन एवं भत्तों पर 40.74 लाख रूपए खर्च हुए ।

(iii) कार्यपालक अभियंता यांत्रिक प्रमंडल, मंडल और औरंगावाद द्वारा प्रस्तुत आयाती (इमरजेन्ट) व्यादेशें पर निर्देशक कय और परिवहन (डी.पी.टी.) ने मार्च और जून 1988 में एक डीलर को सोडियम वैभर लाइट में प्रयोग हेतु 2595 रूपए प्रति चौक की दर से 240 चौकों की आपूर्त्ति का आदेश दिया फर्म ने मार्च और जुलाई 1988 में आपूर्ति दर दिया और स्थानीय कर सहित 6.60 लाख रूपये का भुगतान प्राप्त किया । नमूना जांच से यह उद्घोषित हुआ कि नवम्बर 1987 में डी.पी.टी. ने उसी फर्म से उसी कम्पनी द्वारा निर्मित उससे उँचे वाट के चौकों का प्रति चौक 1500 रूपए की दर से 50 चौक खरीदा था । तीन माह के अन्तरॆाल में असामान्य रूप से उँची दर पर खरीदारी के कारण 240 चौकों के कय पर 2.63 रूपए अतिरिक्त व्यय करने पड़े । खरीदे गए 240 चौकों में से केवल 4 चौको ही प्रयोग में लाए गए और शेष बेकार ही भण्डार में पड़े रहे जब कि खरीद आपाती व्यादेशों के आधार पर की गयी थी ?

(iv) डेहरी रेलवे स्टेशन पर जनवरी 1986 में प्राप्त हुए 840 टन सिमेंट में से 24 टन अन्य परियोजनाओं को स्थानान्तरित दर दिया गया बाकी सिमेंट को परिवहन एजेन्सियों और विभागीय ट्रक द्वारा मुहम्मद गंज लाया गया जिस पर 0.79 लाख की लागत आयी सिमेंट को उप प्रमडल संख्या-3 के भंडार लेखे में दर्ज कर ठेकेदारों को अक्टूबर 1987 में भुगतान कर उिया गया ।

फिर देखा गया कि उसी प्रेपित माल की ढुलाई के लिए कार्यालक अभियंता नहर प्रमंडल मुहम्मदगंज ने 845 टन की ढुलाई के लिए एक फर्म के साथ दो अलग अलग अनुबध किया और मार्च 1987 में .91 लाख रूपए का भुगतान किया । सामग्री को उप प्रमंडल के लेखा में दर्ज नही पाया गया और भुगतान केवल मापी पुस्तिका के आधार पर किया गया । अधीक्षण अभियंता वराज अंचल मुहम्मद गंज के कथनानुसर उत्तरादायित्व निर्धारण की कार्रवायी विचाराधीन थी जो जनवरी 1991 तक नहीं की गयी थी ।

(v) भंडारो की कमी

बराज प्रमंडल संख्या-3 के भंडारों के प्रभारी कनीय अभियंता द्वारा 1982 से विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करने पर सहायक अभियंता द्वारा जून 1985 में कार्यपालक अभियंता के ध्यान में लाया गया । कार्यपालक अभियंता द्वारा उस पर ध्यान न देकर संबंधित कनीय अभियंता को स्थनान्तरण पर कार्य मुक्त कर दिया । उस कनीय अभियंता द्वारा रखे गए भंडार के भौतिक सत्यापन के लिए अधीक्षण अभियंता बराज अंचल के अनुदेशों को भी कार्यपालक अभियंता अनदेखी कर दिया पुन: दो वर्षो के पश्चात एस.इ. के नए अनुदेशों पर विद्यमान पुस्तक के आधार पर भौतिक सत्यापन किया गया जिससे पाया गया कि 121 मदों में से 69 मदों

में कमी थी । भडार द्वारा कमी के मूल्य को परिगणित नहीं किया गया था । जनवरी 1983 के आगे से भंडार लेखा को अद्वतन करने के लिए तथा भंडार के वास्तविक कमी को परिगणित कने के लिए दिसम्बर 1990 तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी ।

विभागीय स्पष्टीकरण:

उत्तर कोयल जलाशय परियोजना बिहार एवं झारखंड राज्यों की एक उभयनिष्ठ योजना है । इसका निर्माण वर्ष 1970 में प्रारम्भ किया गया था । योजनान्तर्गत मंडल (कुटकु) में उत्तर कोयल नदी पर 1170 मि0 घनमीटर जलग्रहण के 67.86 मीटर की अधिकतम उँचाई एवं 343 मीटर की लम्बाई में भेसोनरी डैम निर्माणाधीन है । कुटकू डैम के 96 कि0मी0 नीचे डैम के निर्मुक्त जलप्रवाह के पीकअप के लिए मोहम्मदगंज में 819.60 मीटर लम्बे बराज का कार्य डेक स्लैब एवं पीलर छोड़कर पूरा किया जा चुका है । बराज के डे,स्लैब,पीलर 109.34 कि0मी0 लम्बे दॉया मुख्य नहर, 11.89 कि0मी0 बॉया मुख्य नहर एवं 953.31 कि0मी0 लम्बी वितरणी के कार्य प्रगति पर है ।

योजना के पूरा होने से बिहार एवं झारखंड राज्यों के 1,24,270 हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्राप्त होनी है । 24 मेगावाट विद्युत उत्पादन एवं 44 मिलीयन घानमीटर घरेलू एवं औद्योगिक जलापूर्ति प्राप्त होना है ।

विस्तृत सर्वेक्षण के बाद योजना के कार्य प्रारम्भ किएं गए थे । कार्यान्वयन के दौरान जनहित एवं कार्यहित में कार्यक्षेत्र से परिवर्त्तन करने की आवश्यकता महसूस की गयी । बराज में गेट लगाये जा चुके है । मुख्य नहर के 278.00 आर0डी0 तक 35,000 हे0 से अधिक कमांड क्षेत्र में खरीफ सिंचाई हो रही है । अत: नहर निर्माण पर व्यय अलाभप्रद नहीं है ।

योजना के मूल प्राक्कलन राशि 5858.43 लाख रूपये के लिए वर्ष 1974 में प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी । सामग्रियों एवं श्रमिक दर में वृद्धि के कारण पुन: वर्ष 1981 में 11377.00 लाख की प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई ।

वर्ष 1998 में योजना के लिए 874.72 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है । प्राक्कलित राशि में बढ़ोत्तरी के निमलिखित मुख्य कारण है :-

1. निर्माण सामग्रियों एवं श्रमिक दर में वृद्धि
2. स्थल की स्थिति के अनुसार रूपांकण में परिवर्त्तन की आवश्यकता
3. केन्द्रीय जल आयोग के सुझावनुसार कार्यक्षेत्र में परिवर्त्तन
4. वन भूमि सहित भू-अज्ञन की राशि में वृद्धि ।

परियोजना को वर्ष 1970-80 तक पूण किया जाना था किन्तु संसाधनों की कमी के कारण निर्धारित अवधि में पूरा किया जाना संभव नहीं हो सका ।

डैम एवं बराज मुख्य नहर के सिविल कार्य अधिकांश रूप से पूर्ण है ।

कार्य की प्रगति:

योजना की स्थिति निम्नलिखित है :-

1- डैम एवं बराज 95 प्रतिशत पूर्ण
2- मुख्य नहर एवं शाखा नहर 95 प्रतिशत पूर्ण
3 विवरणी 65 प्रतिशत पूर्ण ।

मोहम्मदगंज बराज के गेटों का इरेक्शन कार्य जून, 92 तक एवं रीमोट कंट्रोल तथा केबुल का कार्य मार्च,96 तक पूरे किए गए है वित्तीय वर्ष 2001-02 में राज्य योजना मद में निधि का उपबन्ध नहीं रहने के कारण कार्य की प्रगति बाधित हुयी है । साथ ही बिहार राज्य के पुनर्गठन के पश्चात बिहार एवं झारखंड (उभय निष्ठ राज्यों में) योजना के अवशेष कार्यो के कार्यान्वयन के संबंध में निर्णय सरकार के विचाराधीन है ।

परियोजना में अब तक राये गये कार्यो से 41000 हे0 क्षेत्र में खरीफ सिंचाई एवं 1700 हे0 में रब्बी सिंचाई हो रही है ।

उत्तर कोयल बॉध प्रमंडल सं0-1 मंडल के अन्तर्गत मंडल डैम में एपोक्सी पेन्ट का सी0डबलू0सी0 के नक्शे में प्रावधान नहीं रहने के बावजूद एपोक्सी पेन्ट कराने के लिए 2 पदाधिकारियों, एक का0अ0 को विभागीय आदेश संख्या 22/नि0 सि0-13-1041/94-22 दिनांक 23.1.2001 के द्वारा एवं एक सहायक अभियंता को विभागीय आदेश संख्या-22/नि0सि0-13-1041/94-22 दिनांक 23.1.2001 के द्वारा दंडित किया गया ।

मंडल में दाँयी छोटी पहाड़ी की उँचाई पक्का बॉध के फार्मेशन लेवल से कम रहने के कारण डाईक का निर्माण आवश्यक पाया गया । स्थल की प्रारंभिक जाँच के आधार पर मितव्ययिता के दृष्टिकोण से मिट्टी के डाईक का निर्माण किया गया ' बादमें विसतृत फाउण्डेशन एवं जिओलोजिकल अध्ययन के पश्चात् केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा पक्के डाईक के निर्माण का सुझाव दिया गया ' ऐसा असामान्य फाउन्डेशन एवं जिओटेकिल स्थिति के कारण प्रतिफलित हुआ है । इस प्रकार पूर्व में मिट्टी के डाईक के निर्माण को अलाभप्रद नहीं कहा जा सकता है ।

उत्तर कोयल नहर परियोजना के बॉये नहर के निर्माण का प्रावधान जलाशय में उपलब्ध जल के आधार पर किया गया है । इस नहर के निर्माण से उत्तरवर्ती झारखंड राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्र की सिंचाई हेतु जल प्राप्त हो सकेगा । नहर के निर्माण हेतु सर्वेक्षण और अन्वेषण पर व्यय किया गया ।

उत्तर कोयल दॉया मुख्य नहर में वर्ष 1987 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त भाड़ा की मरम्मति करा दी गयी है ।

एप्रोच रोड में हुई अनियमिताओं के लिए एक कार्यपालक अभियंयता को विभागीय आदेश सं0-22/नि0स0-13-1027/88-816 दिनांक 10.12.99 के द्वारा दंडित किया गया दंडादेश की प्रति संलग्न ।

कैम्प एवं स्टोर प्रमंडल बखाडीह के भंडार लेखे में उपलब्ध सामग्री है एवं आवश्यकतानुसार इनका व्यवहार किया गया है '

यांत्रिक प्रमंडल, औरंगाबाद एवं यांत्रिक प्रमंडल, मंडल में सोडियम भेपर लैम्प एवं चौक का आपदिक व्याक्यदेश कर बिना आवश्यकता के क्रय करने के लिए एक कार्यपालक अभियंता को विभागीय आदेश सं0-22/नि0स0वि0-प्र0-1020/90-3075 दिनांक 22.9.97 के द्वारा दंडित किया गया, साथ ही डी0पी0टी0 को भी पेंशन नियमावली के अन्तर्गत दंडित किया गया ।

केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल बरवाडीह में रेल से सीमेंट की ढुलाई इत्यादि में हुई अनियमितताओं के लिए 11 पदाधिकारियों को निलम्बित कर डिपार्टमेंटल प्रोसिडिंग चलाई गयी ' अतत: 6 पदाधिकारियों को निम्न विभागीय आदेशों के द्वारा दंडित किया गया ' विभागीय आदेश सं0-22/नि0सिं0 (डा0) 13-1097/9454 दिनांक 27.1.1997,55 दिनांक 27.1.1997, 56 दिनांक 25.1.97 एवं शेप को दोष मुक्त कर दिया गया । दंडादेश की प्रतिलिपि संलग्न ।

भंडारों के प्रभारी कनीय अभियंता के द्वारा लेखा नहीं दिया गया है । ये सेवा छोड़कर फरार है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका-4.8

कंडिका -4.8 दो उप प्रमडलों पर निष्फल व्यय

अंजन जलाशय योजना के मिट्टी कटाई के कार्यान्वयन के लिए 1979 में सृजित कुकुरधप (मुंगेर) के दो अनुमंडल सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल के उसी भागलपुर के अधीन कार्य कर रहे थे उनके पास 32.82 लाख रूपये मूल्य के 12 बड़े मशिन थे कार्य आवंटन के अभाव में ये मशीन तथा उनके संचालन के लिए नियुक्त 134 स्टाफ जिन पर 1989 तक 119.92 लाख रूपये का व्यय हुआ निष्क्रिय पड़े रहे इस बीच कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल सं0-1 लक्ष्मीपूर जो कि अंजन जलाशय योजना के कार्यान्वयन प्रभारी थे जलाशय की मिट्टी का कार्य बिना कोई कारण बताए एक ठेकेदार को आवंटित कर दिया स्टॉफ के अन्यत्र स्थानान्तरण या

कार्य आवंटित करने के कार्यपालक अभियंता यांत्रिक प्रमंडल व उसी द्वारा नवम्बर 1982 तथा जनवरी 1981 में किए गए प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला इस तरह दो उप प्रमंडलों के रख रखाव पर 1982 से फरवरी 1989 तक 119.92 लाख रूपए का व्यय निष्फल हुआ ।

विभागीय स्पष्टीकरण

सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल बौसी अभी भी कार्यरत है तथा इस प्रमण्डल को गत 3 वर्षों में निम्न रूप से कार्य मिला है :-

2000-2001	55.01 लाख रूपये
99-2000	24.53 लाख रूपये
98-99	34.69 लाख रूपये

2- इस प्रमण्डल से अभी गेटों का निर्माण होता है तथा गेटों की मरम्मति होती है ।

3- अत: प्रमण्डल में कार्यरत स्टाफ एवं पदाधिकारियों को निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता है ।

4- यह प्रमण्डल मुख्य अभियंता, भागलपुर एवं मुख्य अभियंता, दक्षिणी पूर्वी भाग, पटना के प्रमण्डलों के गेटों का निर्माण एवं मरम्मति करता है, इसे अन्यत्र हटाने से वित्तीय भार बढेगा ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश:

विभाग द्वारा दिए गए उत्तर से समिति संतुष्ट है इसलिए इस कंडिका को निष्पादित किया जाता है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका-4.9

कंडिका -4.9- मशीनरी और संघटन (मोविलाइजेशन) अग्रिम का न वसूला जाना

सुवर्ण रेखा बहुद्देशीय सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत तीन ठेकेदारों को बंधक के विरूद्व जून 1984 और मई 1986 के दौरान 59.76 लाख रूपया मशीनरी अग्रिम और पत्यामुक्ति को शक्ति पर जून 1984 और सिवंबर 1988 के बीच 36.52 लाख रूपया संघटन (मोविलाइजेशन) अगिम के रूप में दिया गया इस तरह के अग्रिम अनुबंधों के अधीन था अग्रिम को 10 प्रतिशत काम होने के बाद से वसूलना था और 80 प्रतिशत काम होते होते पूर्ण रूप से वसूल करना था । 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष व्याज दर के साथ धीमी प्रगति के कारण अनुबन्धों को अप्रिता 1988 जुलाई 1988 और मार्च 1990 में समाप्त कर दिया गया ठेकेदार को उनके किये गये कार्यो के बदले 387.16 लाख रूपये का भुगतान कर दिया गया किन्तु मशीन अग्रिम और संघटन अग्रिम के शेष बचे 38.91 लाख रूपये की वसूली नहीं की गयी बैंक प्रतिभूतियों के आधार पर बैंक को उक्त राशि के भुगतान के लिये समय पर अनुरोध नहीं किया गया और मई 1989 और मार्च 1990 में इनकी अवधि भी समाप्त हो गयी । कार्य स्थल पर से संवेदक मशीनरी जो विभाग को बंधित थे हटा लिया । जून 1990 तक 36.91 लाख के मूल बकाया के साथ ही 10.19 लाख रूपये सूद की राशि सभी बिना वसूले रह गई।

विभागीय स्पष्टीकरण

क. चाण्डिल बायाँ तट नहर के कि0मी0 12.191 से 13.411 कि0मी0 की कार्य संवेदक मे0 एन0एम0 चोधरी को 3.53 लाख मशीन अग्रिम एवं 1.50 लाख "मोबलाइजशन" अग्रिम दिया गया था । मशीन अग्रिम की वसूली दूसरे प्रमंडल द्वारा कर ली गई तथा मोबलाइजेशन अग्रिम के विरूद्व 0.63 लाख की वसूली हुई, अर्थात 0.87 लाख बकाया रह गया ।

4/88 तक, जल एकरारनामा विखण्डित किया गया , 0.39 लाख का सूद उपरोक्त अग्रिम के क्रम में देय था , जिसके विरूद्व 0.55 लाख की राशि विपत्र से काटी गई है, अर्थात विभाग के पास 0.16 लाख राशि संवेदक का है । इसके अतिरिक्त विभाग के पास संवेदक के चालू विपत्रों के काटी गई 0.48 लाख भी विभाग के पास है ।

मशीन एवं मोबलाइजेशन अग्रिम के विरूद्व संवेदक जमा 2.21 लाख की बैंक गारन्टी भी जमा कर कोषागार में 6/91 में जमा कर दिया गया । परन्तु संवेदक द्वारा दायर मामला 10/88 में पारित न्याय निर्णयके कारण एवं बैंक गारन्टी का समाजंन किया जा सका । इस प्रकार विभाग के पास संवेदक का कुल 2.85 लाख जमा है जबकि वसूली मात्र 0.87 लाख ही करनी है ।

अत: विभाग के लिए क्षति की स्थिति नही बनती है ।

ख. चाण्डिल बांया तट नहर के कि0मी0 0.457 से 0.853 कि0मी0 के संवेदक भी श्री एन0एस0चौधरी ही है । इस कार्य से सम्बन्धित एकरारनामा के विरूद्व संवेदक को मशीन अग्रिम रू0 2.00 लाख एवं " मोबलाइजेशन " अग्रिम के रूप में 1.65 लाख का भुगतान किया गया था ।

मशीन अग्रिम के विरूद्व 1.50 लाख की वसूली की जा चुकी है । संवेदक के एकरारनामा विखण्ड्न की तिथि 4/88 तक 0.78 लाख सूद की राशि देय थी जिसके विरूद्व 0.44 लाख की वसूली राशि की जा चुकी है ।

इस प्रकार संवेदक से वसूलनीय राशि (1.65+0.50+0.34)= 2.49 होती है । संवेदक के चालू विपत्रों से काटी गई राशि 0.24 लाख जो विभाग के पास है ।

संवेदक के बैंक गारन्टी जिसकी राशि 0.57 लाख है विभाग द्वारा जब्त कर कोषागार में 6/91 में जमा कर दिया गया है परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा संवेदक के दायर मुकदमें (11/88) में पारित फैसले के कारण मामांजन नहीं किया जा सका ।

अतएव संवेदक से वसूलनीय 2.49 लाख के विरूद्व विभाग के पास संवेदक का 0.81 लाख जमा है शेष 1. 68 लाख कंडिका (क) में संवेदक के वसूलीनीय राशि से अधिक राशि से समायोजित हो सकता है ।

अत: इसमें भी विभाग के लिए क्षति की स्थिति नहीं बनती ।

ग. चाण्डिल बाया तट नहर के कि0मी0 22.555 से कि0मी0 32.308 (आर0डी0 074 से 106 तक) के संवेदक में वी0 ए0 पी0 एस0 को दिये गये अग्रिम एवं वसूली की गई राशि निम्न है :-

	अग्रिम का भुगतान	राशि (लाख में)		सूद की राशि (लाख में)			कुल वसूलनीय राशि
		वसूल कर ली गई	शेष	देय राशि	वसूली	शेष	
मशीन अग्रिम	54.23	29.94	24.29	22.18	9.94	12.24	36.53
मोबलाइजेशन अग्रिम	27.12	20.84	6.28	7.70	5.15	2.45	8.73
	82.35	50.78	30.57	29.88	15.09	14.69	45.26

संवेदक से वसूलनीय राशि 45.26 लाख के विरूद्व इनके द्वारा जमा बैंक गारन्टियों (13.88+22.27+12.50) 48.65 लाख (क्रमश: जमानत एवं मशीन तथा मोबलाइजेशन के विरूद्व) को रिभोक कर दिया गया परन्तु बैंक द्वारा राशि उपलब्ध नहीं कराई गई । इसके लिए संवेदक एवं संवेदक के बैकंर पंजाब एवं सिन्ध बैंक दिल्ली के विरूद्व मनीसूट 77/93 दाखिल किया गया है । साथ ही संवेदक के विरूद्व उपराधिक मामला 202 /94 भी दायर है ।

इसके अतिरिक्त विवाचन में विवाचक द्वारा विभाग की प्रारंभिक आपत्ति नहीं माने जाने पर विभाग द्वारा टी0एस0 528 / 93 भी दायर किया गया है ।

2. अत: विभाग को (क) एवं (ख) में क्षति की स्थिति नहीं बनती तथा (ग) में बैंक एवं संवेदक के विरूद्व सम्यक कार्रवाई की गई है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश :

विभाग द्वारा दिए गए उत्तर के आलोक में समिति इस कंडिका को निष्पादित करती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका-4.10

कंडिका -4.10-निष्फल व्यय

बागमती नदी के उपर एक बैराज के निर्माण के लिये तीन प्रमंडलीय कार्यालय सीतामढ़ी जिले के बागमती नगर में कार्य करना शुरू किये । सरकार द्वारा कार्यालय भवन और कर्मचारियों के क्वाटरों के निर्माण के लिये 37.79 लाख रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति सितंबर 1992 में प्रदान किया गया । कार्यपालक अभियंता वागमती मुख्य कार्य प्रमंडल संख्या-।।(सीतामढ़ी) द्वारा दिसंबर 1982 में 5 ठेकेदारों के बीच यह कार्य अप्रैल 1983 तक पूरा करने के लिये आवंटित कर दिया गया । जब कि कार्यालय भवन और क्वाटरों के निर्माण कार्य प्रगति में थे तो समूचा बैराज अंचल और उसके अन्तर्गत कार्यरत दो प्रमंडलों को कार्यालय और कर्मचारियों सहित सुवर्णरेखा बहुदेशीय सिंचाई परियोजना गालूडीह (सिंहभूम) को स्थानान्तरित कर दिया गया, शेप एक प्रमंडल को कार्यालय और कर्मचारियों सहित तिरहुत नहर अंचल गौरौल (मुजफ्फरपुर) को स्थानान्तरित कर दिया गया । मई 1985 में निर्माण कार्य रोक दिया गया । तब 15 क्वाटर निर्मित हो चुके थे और निर्माण कार्य पर 20.12 लाख रूपये व्यय हो चुके थे । निर्मित क्वाटरों के रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं थी और यह भी पता नहीं था कि वे अनधिकृत कब्जे में थे या कब्जे से मुक्त इस तरह 28.12 लाख का निष्फल व्यय हुआ ।

विभागीय स्पष्टीकरण

वागमती योजना का प्रारम्भ बिहार सरकार सिंचाई विभाग के पत्रांक 8374 दिनांक 16.6.8 द्वारा 5.78 लाख रूपये के प्रशासनिक स्वीकृति के साथ हुआ । पुन: केन्द्रीय जल आयेाग के पत्रांक 2122/ 82-1 सी.डी.ए. दिनांक 9.5.85 द्वारा 185.70 करोड़ का पुनरीक्षित प्राक्कलन स्वीकृत किया गया । जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति सिंचाई विभाग के पत्रांक 3819 दिनांक 11.7.84 द्वारा दी गई । इस बीच वर्ष 1979 में इसके लिए दो प्रमंडल एवं एक अंचल का सृजन कया गया । कार्यालय, आवास एवं गोदाम आदि के लिए भवन-निर्माण हेतु 37.79 लाख रूपये का कार्य 1981 में प्रारम्भ किया गया ।

वागमती बराज निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई परन्तु नेपाल सरकार द्वारा प्रस्तावित बराज स्थल के कुछ कि0 मी0 उपर में बराज निर्माण के करण इसकी उपादेयता पर प्रश्न चिन्ह लग गया । फलत: वर्ष 1990 में निर्माण बंद कर देना पड़ा और सृजित कार्यालयों को साज सज्जा सहित अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया ।

विपयांकित शिविर में कोई अतिक्रमण एवं अनाधिकृत कब्जा नहीं है। इस योजना का कार्य पुन: प्रारम्भ होने पर इन भवनों का उपयोग किया जा सकता है । सिंचाई विभाग के पत्रांक 31/आवास-10-120/92-51 दिनांक 7.1.93 द्वारा इस शिविर को बिहार सैन्य पुलिस बल का मुख्यालय स्थापित करने हेतु जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी को हस्तान्तरित करने का आदेश दिया गया है ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका-4.11

कंडिका 4.11 काठ पुल के निर्माण पर फिजूल खर्च

सभी मौसम में यातायात उपलब्ध कराने के उद्येश्य से कार्यपालक अभियंता, ड्रेनेज और इन्वेस्टीगेशन प्रमंडल, सुपौल (सहरसा) ने कोशी परियोजना के पूर्वी तटबंध में विभिन्न पहुंच (रिचेज) पर 5 काठ पुलों का निर्माण कार्य 4 ठीकेदारों की उनके न्यूनतम की रेट दरों कुल 58.28 लाख रूपए पर सौप दिया । नवम्बर 1981 और फरवरी 1983 के मध्य प्रारम्भ हुए कार्यो को 3 से 4 महीनों में पूरा किया जाना था । अभिलेखें की संवीक्षा से ज्ञात हुआ कि कार्यो की प्रगति बहुत धीमी थी । 3 मामलों में 2 से 15 महीनों की अवधि के लिए विस्तार प्रदान किया गया, 2 अन्य मामलो में इसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं थी । ठेकेदारों ने 19.36 लाख रूपए मूल्य के कार्य के कार्यान्वयन के पश्चात् कार्य रोक दिया । तथापि संविदाओं का विलोपन करने और शेष कार्य को पूर्ण करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई । ठेकेदारों के अन्तिम विलों का भी निपटारा नहीं हुआ था । सभी अपूर्ण काठ पुल सितम्बर 1984 में नदी में बाढ़ के दौरान बह गए बताए गए । काठ पुलों को पूरा करवाने के लिए समय पर कार्यवाही करने में विभाग की विफलता के फलस्वरूप 19.36 लाख रूपए का दोषपूर्ण व्यय हुआ । सितम्बर 1990 तक सरकार द्वारा विफलता के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया था ।

मामला दिसम्बर 1990 में सरकार को संदर्भित किया गया: उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था अगस्त 1992) (फरवरी 1990) तक अधीक्षण अभियंता से दो तीन बार सम्पर्क किया गया पर परिणाम नहीं निकला । निष्क्रिय कर्मचारियों के वेतन और भत्ते पर सितम्बर 1977 और जनवरी 1990 के मध्य हुए 7.1 लाख रूपए का व्यय निरर्थक सिद्ध हुआ ।

मामला अगस्त 1990 में सरकार को संदर्भित किया गया । उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1992). ।

विभागीय स्पष्टीकरण

प्रश्नान्तर्गत काष्ट सेतुओं का निर्माण स्थानीय जनता की आवागमन की सुविधा हेतु प्रारम्भ किया गया था । उपलब्ध प्रमंडलीय अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि पर्याप्त निधि उपलब्ध न रहने के कारण एवं सतरस स्लइस की समीप जून 83 में बांध टूट जाने के कारण सेतु निर्माण से संबंधित समग्रियों के ले जाने में बाधा के कारण कार्य की प्रगति धीमी रही तथा ये सेतु अपूर्ण रहे । सितम्बर 84 में पूर्वी कोशी तटबंध के 76 वें कि0 मी0 पर दरार हो जाने के कारण कोशी का पानी कन्ट्री साइड में वहने लगा तथा मीमरा धार का प्रवाहन अप्रत्यासित रूप से बढ़ गया । यह उसके' रूपांकित क्षमता 4500 घ0 फु0 के विरूद्व अभिलेख के अनुसार 15000 घनफुट धार का प्रवाह हो गया । फलत: इस धार पर निर्मित्त एवं अपूर्ण सेतु क्षतिग्रस्त हो गए । यह एक प्राकृतिक आपदा थी तथा अगर सेतु पूर्णरूपेण निर्मित्त हो गये होते तो भी उनका क्षतिग्रस्त हो जाना अवश्य संभावी था एवं सरकारी राशि की और क्षति होती ।

अत: इस क्षति के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका - 4,12

कंडिका 4,12 परिहार्य व्यय

8 अगस्त 1987 को बुढ़ी गंडक नदी के दाहिने तटबंध में मुजफ्फरपुर में 30 फीट चौड़ी दरार पड़ गयी। 11 अगस्त 1987 को दरार के 200 फीट चौड़ा होने पर अभियंता प्रमुख ने दरार पड़े तटबंध के नीचे के दोनों तरफ साल बल्ला/बांस और बालू भर बोरे स्लोप पिचिंग से सुरक्षा का निर्णय किया। कुल लागत 12.60 लाख प्राक्कलित की गयी, लेकिन कार्यपालक अभियंता वाटरवेज प्रमंडल मुजफ्फरपुर और तिरहुत नहर प्रमंडल ने 0.18 लाख की लागत पर वृक्ष स्परों से उस दरार को बंद कर दिया, लेकिन यह उपाय कारगर नहीं हुई और 16 अगस्त 1987 तक दरार 450 फीट तक और चौड़ी हो गयी। कार्यपालक अभिंयता के अनुसार तटबंध ग्रामीण असहायों से भर गया था इसलिए सालबल्ला और सिमेंट बोरों की ढुलाई में कठिनाई हुई।

कमजोर प्रतिरोध के चलते और अधिक हानि की संभावना को देखते हुए विभाग अगस्त 1987 और सितम्बर 1987 के बीच 28.35 लाख के लागत पर साल बल्ला बालू के बोरों इत्यादि से सुरक्षात्मक उपाय किये और इस बार सामग्रियों के प्रचालन में कोई बाधा का अनुभव नहीं किया गया। इस तरह विहित विशिष्टता के अनुसार कार्य करवाने में विभाग की विफलता के कारण विभाग का 15.75 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ।

विभागीय स्पष्टीकरण

दिनांक 8 अगस्त 1987 को रात्रि 3.00 बजे के लगभग असामाजिक तत्वों की विकृत मनोवृति के कारण तोड़-फोड़ की कार्रवाई के तहत बांध को काटा गया। क्योंकि बांध उस समय टूटने की स्थिति में नहीं थी। तत्कालीन कार्यपालक अभियंता जल पथ प्रमंडल, मुजफ्फर के पत्रांक 1523 दिनांक 9.8.87 के द्वारा अधीक्षण अभियंता, को सम्प्रति प्रतिवेदन एवं अधीक्षण अभियंता, जल निस्सरण अनुसंधान अंचल, मुजफ्फपुर को समर्पित प्रतिवेदन में यह स्पष्ट उद्दृत है कि कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियता एवं मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 8.8.87 को दायीं बूढ़ी गंडक तटबंध का निरीक्षण किया गया था तथा तटबंध को पूर्णरूपेण सुरक्षित पाया गया था। टूटान स्थल पर तटबंध की ऊँचाई लगभग 8 फीट तक था तथा फ्री बोर्ड भी लगभग 4 फीट था। सिकन्दरपुर अमान स्थल पर दिनांक 8.8.87 के संध्या छः बजे नदी का जल स्तर 536 मीटर हो गया था, इस प्रकार नदी का जल स्तर कट रहा था। इस स्थल पर कटान, ओभर लैपिंग, सीपेज या पाईपिंग आदि से तटबंध टूटने की कोई संभावना नहीं थी।

अधीक्षण अभियंता के पत्रांक 1217 दिनां 11.8.87 द्वारा समर्पित प्रतिवदेन में टूटान स्थल की चौड़ाई लगभग 200 फीट दर्शायी गई थी परंतु बूढ़ी गंडक में भारी वर्षा के फलस्वरूप जल स्तर में वृद्धि हो जाने के कारण दिनां 14.6.87 को छः बजे सिकन्दपुर स्थल का उच्चतम स्तर 54.11 मीटर हो गया जो 5393 मीटर से 18 से.मी. उंचा था। जल स्तर बढ़ने के फलस्वरूप टूटान स्थल की लम्बाई 500 फीट हो गई। टूटान स्थल पर जल स्तर उच्चतम बाढ़ स्तर (5393 मीटर) के लगभग था। प्रारंभिक अवधि में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा इस कार्य को कम लागत में वृक्ष स्परों द्वारा बंद करने की कार्रवाई की गई, परंतु पानी के तीव्र प्रवाह के कारण यह कार्य अप्रभावी सिद्ध हुआ। तदुपरांत तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, जल निस्सरण अनुसंधान अंचल, मुजफ्फरपुर, मुख्य अभियंता, जल संसाधन, मुजफ्फरपुर के देखरेख में यह कार्य स्वीकृत प्राक्कलन रूपये 28.35 लाख (16,19,12,16) के विरूद्ध कराया गया। तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, जल निस्सरण अनुसंधान अंचल, मुजफ्फर के पत्रांक 82 ई. ओ. दिनांक 17.8.87 जो मुख्य अभियंता, जल संसाधन मुजफ्फरपुर को समर्पित है, उसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि दिनांक 10.8.87 को तटबंध पर ग्रामीणों द्वारा अपने माल मवेशियों के साथ शरण लेने के फलस्वरूप रास्ता अवरूद्ध हो गया है, फलतः बाढ़ बचाव सामग्रियों को टूटान स्थल से 4-5 कि.मी. पीछे ही मोहनपुर गांव के पास रखा गया है। इस

सम्बंध में समाहर्त्ता मुजफ्फरपुर से भी दिनांक 11.8.87 को आयुक्त मुजफ्फरपुर के पक्ष में बैठक के दौरान सभी बातों की जानकारी देते हुए सशत्र बल की प्रतिनियुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया था। जिसके फलस्वरूप प्रशासन के सहयोग से कार्यस्थल तक सामग्रियों की ढुलाई सरकार कार्य सम्पन्न कराया गया अतएव अंकेक्षण प्रतिवेदन में इस के आशय का टिप्पणी करना कि इस बार सामग्रियो के परिचालन में विभाग को कोई बाधा अनुभव नहीं हुआ यथोचित नहीं है।

टूटान की प्रारंभिक सूचना से संबंधित प्राथमिकी तत्कालीन श्री लक्ष्मी कांत सिंह, कनीय अभियंता, जल पथ प्रमंडल, मुजफ्फपुर द्वारा दिनांक 10.8.87 को अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग द्वारा थाना प्रभारी सकरा को भेज दी गयी थी, चूंकि बांध काटे जाने के फलस्वरूप सड़क द्वारा आवागमन अवरूद्ध हो गया था। यह कार्यविहित निशिष्टता के अुनसार ही विभागीय उच्च पदाधिकारीयों इत्यादि के देख-रेख में सम्पन्न हुआ जिसमें प्रशासन की भी मदद ली गई। अतएव विभागी विफलता के फलस्वरूप रूपये 1575 लाख अतिरिक्त व्यय करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

अनुरोध है कि कंडिका को बंद करने की कार्रवाई की जाये।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय इसकी जांच अपने स्तर से कर इस पर कारगर कार्रवाई करे।
उक्त निदेश के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका - 4.13

कंडिका - 4.13 कर्मचारियों पर खर्चीला (वेस्टफूल) व्यय सरकार द्वारा प्रदत स्वीकृति के आधार पर बहौरी (नेपाल) के पूर्वी नहर प्रमंडल में सम्पूर्ण कर्मचारियों के साथ पुनः नमित सारण नहर प्रमंडल में एकमा पर सितम्बर 1977 से कार्य करना प्रारंभ किया। अगस्त 1980 में कार्यपालक अभियंता ने अधीक्षण अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, छपरा को संसूचित किया कि कुछ कर्मचारी, दो पम्प आपरेटर/खलासी एक ग्रेडर चालक, एक मिक्सचर आपरेटर, एक ड्रेसर और दो ट्रेक्टर चालक आवश्यकता से अधिक थे। उनकी सेवायें अन्यंत्र उपयोग में लेने की कोई कार्यवाही नहीं की गई न ही मामला सरकार को सूचित किया गया। कार्यपालक अभियंता ने लेखा परीक्षा का उत्तर दिया (फरवरी 1990) कि अधीक्षण अभियंता से दो तीन बार सम्पर्क किया गया पर परिणाम नहीं निकला। निष्क्रिय कर्मचरियों के वेतन और भत्ते पर सितम्बर 1977 और जनवरी के मध्य हुए 7.41 लाख रूपए का व्यय निरर्थक सिद्ध हुआ।

मामला अगस्त 1990 में सरकार को संदर्भित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1992)

विभागयी स्पष्टीकरण

उपर्युक्त संदर्भ में सूचित करना है कि दिनांक 26.5.96 को इस मामले का समीक्षा प्रभारी कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, एकमा एंव अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा के साथ की गयी।

प्रश्नागत कुल आठ कर्मचारी नेपाल पूर्वी नहर प्रमंडल बहुवरी के कार्य समापन के बाद प्रमंडल अतिरेक होने के पश्चात प्रमंडल के साज-सज्जा सहित स्थानतरित होने के फलस्वरूप एकमा में पदस्थापित हुए थे। उसी प्रमंडल का नाम सरकार द्वारा रूपांतरित कर सारण नहर प्रमंडल, गंडक योजना, एकमा किया गया है। प्रश्नगत कर्मचारी जो जैसे लायक थे, उससे वैसा कार्य लिया गया अथवा उनसे वैकल्पिक कार्य लिया गया। उचित कार्य की प्रतीक्षा में भी इन कर्मचारियों में से कुछ को रहना पड़ा। ये कर्मचारी लम्बी सेवा अवधि में थे और इन्हें तत्काल सेवा से हटाया नहीं जा सकता था। सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारियों के संबंध में निर्णय लिया गया था कि इन्हें नियमित स्थापन में समायोजित कर लिया जायेगा फलस्वरूप प्रश्नागत

कर्मचारियों में से कुछ को पत्राचार लिपिक के पद पर वर्ष 1982 में समायोजित कर लिया गया है और कुछ को अन्य प्रमंडल में स्थानान्तरित भी कर दिया गया है । अधीक्षण अभियंता ने प्रतिवेदित किया है कि ये कर्मचारी अतिरेक नहीं थे, बल्कि यथासमय सारण नहर प्रमंडल, गडक योजना, एकमा के अन्तर्गत नहर से संबंधित निर्माण कार्य एवं उसके संचालन में संलग्न रक्खे गये थे । अतएव इसमें होने वाले व्यय को वेस्टफुल नहीं कहा जायेगा । अधीक्षण अभियंता, सारण नहर अंचल, छपरा के पत्रांक 1 कैम्प-सीवान दिनांक 26.5.96 की प्रतिलिपि आपके सुलभ प्रसंग के लिए संलग्न है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि इन कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भत्ते पर हुए व्यय को निरर्थक नहीं मानते हुए इस कंडिका को विलोपित करने की कार्यवाही की जाय ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभाग इस कंडिका के आपत्तियों की जाँच कर कार्रवाई करे ।

विभागीय उत्तर के आलोक में समिति इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका-4.14

कंडिका 4.14 मिट्टी की ढुलाई पर अतिरिक्त व्यय

कार्यपालक अभियंता पूर्वी तटबंध प्रमंडल सुपौल सहरसा ने तटबंध के 63.4 कि0 मी0 पर अगर (इमवरमिएन्वल)स्पर के विस्तर और मजबूतीकरण के लिये 8.19 लाख रूपये के मिट्टी कार्य तीन ठेकेदारों को सौंप दिया अनुबंध के अनुसार 835.79 रूपये 100 घन मीटर की दर से भुगतान करना था । अनुबंध में यांत्रिक साधनों से मिट्टी ढुलाई का प्रावधान नहीं था । कार्य 15 मई 1987 तक पूरा होना था जो नहीं हुआ । इसी बीच बोरों लैंड पानी में डूब गया, फिर अक्टुबर 1988 में बढ़ी दरों पर यांत्रिक साधनों द्वारा मिट्टी ढुलाई का अनुपूरक अनुबंध किया गया । इस तरह समय से कार्य पूरा नहीं कराने के कारण 0.61 लाख रूपये की रकम के विरूद्ध विभाग द्वारा 7305 घनमीटर मिट्टी की ढुलाई प्रति 100 घन फीट की दर से 2.33 लाख रूपये भुगतान करना पड़ा चूँकि पूर्ण होने की मूल निर्धारित तिथि से में बोरों एरिया पानी में डुबा अतः 1.62 लाख रूपये के अतिरिक्त व्यय का कोई औचित्य नहीं था ।

विभागीय स्पष्टीकरण

इस कार्य को प्रारम्भ करने की तिथि 25.4.87 थी । कार्य शुरू करने के बाद जन प्रतिरोध कार्य-स्थल पर हुआ और आगे का कार्य नहीं हो पाया । जन प्रतिरोध के चलते समय वृद्धि (टाईम एक्सटेंशन) 15.7.8 तक दिया गया । लेकिन वर्षा के कारण बोरो एरिया पानी से भर गया और मिट्टी उपलब्ध नहीं हो पाया ।कार्य की अनिवार्यता (अरजेन्सी) को देखते हुए अधीक्षण अभियंता के आदेश से मेकेनिकल कैरेज के लिये एक पूरक एकरारनामा किया गया तथा पूर्वी तटबंध के 65.46 कि0 मी0 पर अवस्थित स्पर के विस्तार एवं मजबूतीकरण अक्टूबर,88 तक पूरा कर लिया गया । अतः मैकेनिकल कैरेज का अतिरिक्त प्रावधान लोकहित एवं कार्यहित में किया गया ।

समिति के निष्कर्ष एवं सिफारिश

भविष्य में विभाग इस तरह के कराये गये किसी भी कार्यो का भुगतान संबंधित पदाधिकारी के गहन छानबीन एवं सरकार के बिना अनुमति के नहीं किया करे, इसी निदेश के साथ समिति इस कंडिका को निष्पादित मानती है ।

अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल) कंडिका 5.4

कंडिका 5.4 सीमेंट के जमने के कारण हानि

(1) पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटना द्वारा जनवरी 1984 में प्राप्त की गयी सीमट की 3,706 बोरियां (कीमत 1.59 लाख रू0) की मात्रा जुलाई 1987 में जमी हुयी पायी गयी । अभिशाषी अभियंता ने हानि के लिए भंडार गृहों के कार्यभार में पदस्थपित व्यक्तियों के नवम्बर 1985 में स्थानान्तरण पर भंडारगृहों के हस्तांतरण के बिना कार्य विमुक्त की उत्तरदायी ठहराया ।

(2) बटेश्वरस्थान पम्प केनाल योजना में उपयोग के लिए अप्रील / मई 1981 में प्राप्त की गयी सीमेंट की 2900 बोरियों (लागत 0.75लाख)की मात्रा छः वर्षो तक अप्रयुक्त रह गयी । ई0 ने इसके लिए सिम्बर 1982 से मार्च 1985 तक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का बड़ी संख्या में निलम्बन की उत्तरदायी ठहराया ।

2.34 लाख रू0 की हानि के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु विभाग द्वारा कोई जांच नहीं की गयी (दिसम्बर 1990)

मामला सरकार को नवम्बर 1990 में संदर्भित कियागया उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (अगस्त 1992)

विभागीय स्पष्टीकरण

पुनपुन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, पटना के भंडार में जनवरी, 84 में कुल 22073 बोरे सिमेंट प्राप्त किये गये थे । संरचनाओं के निर्माण में हुए खपत के बाद मई, 1985 में 3706 बोरे सिमेंट बच गये थे । विभागीय पत्रांक 2784 दिनांक 30.5.85 से उक्त प्रमंडल को सभी साज सज्जा के साथ पुनपुन पटना से स्वर्ण रेखा परियोजना के अन्तर्गत गालूडीह में स्थानान्तरित कर दिया गया । विभागीय आदेश के अनुपालन में सभी राजपत्रित पदाधिकारी स्वर्णरेखा परियोजना तो चले गये परन्तु राजपत्रित कर्मचारी स्थानान्तरण आदेश के प्रतिकार स्वरूप संघर्षरत रहे, अन्ततः विभागीय आदेश 3559 दिनांक 17.6.86 से पुनः उक्त प्रमंडल को पुनपुन पटना में ही चालू किया गया । स्वर्ण रेखा परियोजना में कार्यरत कनीय अभियंता जब प्रभार देने आये तो भंडार में 339 बोरा सिमेंट पूर्णतया सेट हो चुका था तथा 3367 बोरा आंशिक रूप से सेट होने की प्रक्रिया में थे । उसमें से 1108 बोरे सिमेन्ट का उपयोग कार्य में कर लिया गया तथा अवशेष 2598 बोरा सिमेंट अभी भी गोदाम में सेट पड़े हुए हैं ।

यदि विभागीय आदेश के अनपुालन में पुनपुन प्रमंडल सभी साज सज्जा के साथ स्थानान्तरित हो गया रहता तो कोई क्षति नहीं हुयी रहती । केवल अराजपत्रित कर्मचारियों के संघर्ष के चलते भंडार का आदान प्रदान नहीं हो सका, जिसके कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उभरी । इसके लिये किसी खास व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता ।अतः इस कंडिका को क्षान्त करते हुए विलोपित करने की कृपा की जाय ।

समिति का निष्कर्ष एवं सिफारिश

विभागीय स्पष्टीकरण के आलोक में समिति अब इसे आगे बढ़ाना नहीं चाहती है ।

पटना :
दिनांक 6 मार्च 2002

6.3.2002
सभापति
लो० ले० समिति

परिशिष्ट

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।

का० आ० सं०-22/नि०सि०विधान: 13-1027/88 816/ पटना, दिनांक :- 10.12.94

आदेश

श्री कैलाश प्रसाद सिंह, तत्कालीन अभियंता, उत्तर कोयल बराज प्रमंडल, मोहम्मदगंज (सम्प्रति उप निदेशक गुण नियंत्रण प्रमंडल, रांची) द्वारा उत्तर कोयल बराज प्रमंडल, मोहम्मद गंज में पदस्थापित की अवधि वर्ष 1987-88 में बूढ़ी गंडक खंड से मोहम्मदगंज तक विभाग द्वारा कराये जा रहे सड़क निर्माण के कार्य में बरतीगयी अनियमितता की जांच विभागीय उड़नदस्ता द्वारा करायी गयी। जांच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक - 1617, दिनांक 8.8.96 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री सिंह से इस संदर्भ में प्राप्त स्पष्टीकरण की सम्बद्ध समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत निम्नकारणों से दोषी पाया गया:

(क) बूढ़ी गंडक कांडी तक सड़क निर्माण में कुछ खराब पत्थर बेल ग्रेडेड मेटल का होना तथा खराब पत्थर का उपयोग करना।

(ख) एकरारनामा संख्या - 6एफ०-2/87-88 मे मेटल के स्टैकिंग में भ्वाग-- काटकर सीधे बिछाया जाना एवं कान्सोलिडेटेड विकनेता का भुगतान करना। विपत्र भी कार्यालय अभियंता द्वारा जांचित नहीं होना।

अतएव उपरोक्त कारणों से भी कैलाश प्रसाद सिंह, कार्यालय अभियंता को दोषी पायी जाने के फलस्वरूप सरकार द्वारा उन्हें निम्न दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है-

(क) निन्टन जिसकी प्रविष्टि वर्ष 87-88 को श्री सिंह की चारित्रीक मेंकी जायेगी।

(ख) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक।

तदनुसार श्री कैलाश प्रसाद सिंह, कार्यालय अभियंता को उपरोक्त दंड संसूचित किये जाते हैं।

अवधेश कुमार

सरकार के उपसचिव।

ज्ञापांक : 2482 / पटना, दिनां - 10.12.99

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/रांची/वित्त विभाग वैयतिव दावा निर्धारण कोषांक बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (दक्षिण) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, रांची/डाल्टेन गंज/श्री वी.पी.परिहस्त, सरकार के संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग/ श्री डी.के. श्री वास्तव, सरकार के उप सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रशखा पदाधिकारी, प्रशासी - 5, 6, 12, 10 एवं 22, जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/श्री कैलाश प्रसाद सिंह, उप निदेशक (बै) गुण नियंत्रण प्रमंडल, जल संसाधन विभाग, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवधेश कुमार

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक -----------

सं. - 22/नि.शि. (वि.) प्र-1020/90 अंश - 1 /मुख्य अभियंता, डालटेनगंज अंतर्गत अधीनस्थ प्रमंण्डलों में वर्ष 87-88 एवं 88-89 में रेडियम भेपर लैम्प एवं चौका की खरीदाई में गंभीर अनियममिता वरते जाने फर्म के मालिकों से सांठ-गांठ कर उन्हें नाजायज आर्थिक लाभ पहुंचान, सरकार को भारी आर्थिक नुकशान पहुंचाने, पद का घोर दुरूपयोग करने तथा अन्याय अनियमितता के अंतरलिप्त रहने के कारण मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग द्वारा निगरानी थाना में दायर मुकदमा संख्या - 51/90 में श्री के . सी. प्रधान, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमण्डल, मंडल को धारा 420/467/468/471/477/ए/120बी/109 भा.द. वि. एवं धारा 5 (2) सह पठित धारा 5(1) (डी.) भा.उ.अधि. का संशेय अभियुक्त बनाये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश संख्या - 18 दिनांक 8 .9.91 के द्वारा निलम्बिल किया गया तथा विभगीय शंकल्प संख्या - 2128 दिनांक 7.10.91 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई

संचालन पदाधिकारी से विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसको राज्य समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से निम्न कारणों से सहमति व्यक्त की गई-

(1) गलत अपातिक न्यायादेश क्योंकि क्रय किये गये समान अभी भी गोदाम में पड़े हुए है।।

(2) अधिक वं उंचे दर पर समग्रियों का क्रय किया जाना।

(3) चार रेपुटेड फर्मो का निविदा अमंत्रित करना तथा विपक्ष में भाग नहीं लेना एक दिखावा एवं खानापुरी है।

अतएव संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से अराहमत होते हुए श्री प्रधान से विभागीय पत्र संख्या-1966 दिनांक - 7.9.96 द्वारा वित्तीय कारण पृच्छा की गई। श्री प्रधान से वित्तीय कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त, हुआ, जिसको सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं उन्हें उपर्युक्त आरोपें के लिए दोषी पाया गया। अतः सरकार द्वारा उन्हें निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है:

(1) 1,60 (एक लाख साठ हजार) रूपये की वसूली जो उनके अगले वेतन से 5,000/- (पांच हजार) रूपये प्रतिमाह की दर से प्रत्येक माह की जायेगी। अगर रोजनाविध में क्षति की राशी की वसूली नहीं हो पाते हैं तो उनके सेवानिवृति के उपरांत शेष राशि की वसूली देय उपदान तथा अन्य भावनाओं से एक मुश्त में की जायेगी।

(2) निलम्बन अवधि में उसे जीवन निर्गत भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा, लेकिन इसकी गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

तदनुसार को प्रधान कार्यालय अभियंता (यां0) को उपर्युक्त दंड संसूचित किया जाता है।

श्री प्रधान मुख्यालय, पटना में योगदान देंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेशानुसार

(भृगुनाथ द्विवेदी)

सरकार के उपसचिव।

ज्ञापांक संख्या --------------- / दिनांक --------------------------------/

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुख्यालय, गुलजारबाग, पटना को बिहांर राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ पेषित।

(भृगुनाथ द्विवेदी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक संख्या - 3095 दिनांक 22.9.96/

प्रतिलिपि- महालेखाकार बिहार, पटना/ रांची/ सचिव के उप सचिव/ सभी अभियंता प्रमुख/ सभी मुख्य अभियंता/ संयुक्त सचिव (श्री हयात) प्रबंधन कोषांग/ अवर सचिव (श्री चंद्रशील गुप्ता) प्रबंधन कोषांक/श्री के.सी. प्रधान, कार्यालय अभियंता (यां.) द्वारा - मुख्य अभियंता, राज्य योजना, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी - 11,12 एवं 22 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेपित।

(भृगुनथ द्विवेदी)

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग।

संख्या-22/नि.सिं.(डा.)13-1041/94 - 22 पटना, दिनांक - 23.01.2001

आदेश

श्री गंगेश्वर मिश्र, सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण पदाधिकारी, डाल्टेनगंज से उनके पदस्थापन अविधि वर्ष 1988-89 में केन्द्रीय जल आयोग दिल्ली द्वारा एपोक्सो मींटिंग का प्रावधान नहीं रहने के वावजूद अनुसूचित दर से अधिक दर पर कार्य करने के आरोप में विभागीय पत्रांक 664 दिनांक 10.3.99 द्वारा सिवील सरभीसेज वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील रूल्स के नियम 55 (ए) के तहत स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत निम्नलिखित आरोप प्रमाणित पाया गया।

मंडल डैम के परियोजना प्रतिवेदन में तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृति नक्शें में एपोक्सी पेंटींग का प्रावधान नहीं रहना तथा कोटेशन दर बिना दर स्वीकृति के प्राक्कलन स्वीकृत करने की अनुशंसा मुख्य अभियंता के कार्यालय में करना।

उपरोक्त प्रमाणित आरोप के लिए सरकार ने श्री मिश्र के निम्नदंड देने का निर्णय लिया है-

(1) निंदन जिसकी प्रविष्टि उनकी चारित्री वर्ष 88-89 में की जायेगी। अतएव उक्त दंड श्री मिश्र को संसूचित किया जाता है।

(बी.एन.झा)

सरकार क उप सचिव।

ज्ञापांक : पटना, दिनांक - ------------------

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार/झाखंड/वित्त (वै.दा.नि.कोषांग) बिहार, पटना संयुक्त सचिव; प्रबंधक कोषांग/श्री गंगेश्वर मिश्र, सहायक अभियंता, परियोजना संयोजक, कार्यालय, पटना/कम्प्यूटर कोषांग, बिहार, पटना /प्रशाखा-5,7 एवं 22 को सूचनार्थ प्रेपित।

(बी.एन.झा.)

सरकार के उपसचिव।

बिहार सरकार

जल संसाधन (सिंचाई) विभाग।

आ.सं.-22/नि.सि.(डा.) - 1037/94:- दिनांक - 25.1.99

श्री मो. अख्तर अंसारी, तत्कालीन सहायक अभियंता (यांत्रिक) केन्द्रीय भंडार एवं प्रमंडल, बरवाडीह में बरती गई अनियमितताओं के लिए विभागयी आदेश संख्या 58 दिनांक 7.3.92 के द्वारा निलम्बित किया गया एवं विभागीय संकल्प संख्या 1165 दिनांक 2.6.92 के द्वारा आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। संचालन पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसकी सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं इन्हें निर्दोष पाया गया।

अतः सरकार द्वारा इन्हें निलम्बन से मुक्त करते हुए दोष मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार श्री अंसारी को निलम्बन से मुक्त करते हुए दोष मुक्त किया जाता है।

निलम्बन अवधि के वेतन के भुगतान का निर्णय आदेश निर्गत होने के उपरांत लिया जायेगा।

निलम्बन से मुक्त होने के उपरांत श्री अंसारी मुख्यलाय (पटना) में योगदान देंगे।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

(भृगुनाथ द्विवेदी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक संख्या : दिनांक---------

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/रांची/वित्त विशेष सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग /

सभी अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन (सिंचाई) विभाग/वित्त विभाग (वैयक्तिक दावा कोषांग) बिहार, बिहार, पटना/ उप सचिव (श्री बी.एन. प्रसाद/ अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-11, जलसंसाधन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-11, 12 एवं 22 तथा श्री मो. अख्तर अंसारी, सहायक अभियंता यांत्रिक (निलम्बित) द्वारा मुख्य अभियंता, पी.पी. सेल, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(भृगुनाथ द्विवेदी)

सरकार के उप सचिव

जल संसाधन (सिंचाई) विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।

सं.22/नि.सि.(डा.) 13-1037/94 55/ पटना, दिनांक 27/1/1997 ई.।

आदेश

श्री नीलमणी तिरकी, तत्कालीन सहायक अभियंता, केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल, वरवाडीह के पदस्थापन अविध दिनांक 17.5.90 एवं दिनांक 24.8.87 से 24.9.87 के बीच केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल वरवाडीह के गोदाम में उपलब्ध सिमेंट का रिसफलिंग एवं रिहैण्डलिंग पर 3,48,570/रूपये, रेलवे वैगन से सिमेंट उतार कर बरवाडीह गोदाम में रखने से दिनांक 24.4.89 से 21.1.90 के बीच 2,52,831/ रूपये तथा वरवाडीह गोदाम से मंडल एवं अन्य स्थानों में ढुलाई पर दिनांक 29.4.89 से 21.9.89 तथा 28.8.87 से 24.9.87 के बीच 3,46,115/- रूपये, तिरपालों की आपूर्ति के मद में दिनांक 12.5.89 से 1.11.89 एवं 25.5.87 से 24.8.87 के बीच 5,97,787/- रूपये, विद्युत संवंधी सामानों की आपूर्ति में दिनांक 30.4.89 से 12.1.90 के बची 5,75,067/=37 रूपये तथा स्वच्छता एवं जलापूर्ति संबंधी सामानों की आपूर्ति पर दिनांक 30,6.89 से 12.1.90, 28.7.87 से 23.9.89 के बिच 9,9,13,297 =05 रूपये का व्यय किया गया। उक्त कार्य को कराने तथा सामानों की आपूर्ति बिना उच्चाधिकारियों के आदेश, बिना प्राक्कलन की स्वीकृति, बिना खूली निविदा आमंत्रण कराने, निविदा की छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट कर सरकार को वित्तीय छति पहुंचाने एवं अन्या कदाचारों के लिए प्रथम द्रष्टवा दोषी पाये जाने के फलस्वरूप विभागीय आदेश संख्या 54 दिनांक 7.3.92 के द्वारा निलम्बित किया गया एवं विभागीय संकल्प 1160 दिनांक 2.6.92 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(2) विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन जांच पदाधिकारी से प्राप्त हुआ। जांच पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन में नहीं निर्दोष कहा, लेकिन जांच प्रतिवेदन को सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरांत निम्नांकित कारणों से संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति व्यक्त की गई-

निविदा को छोटे'-छोटे टुकड़े में विभक्त करने, निविदा आमंत्रण में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने, बिना प्राक्कलन स्वीकृति के निविदा आमंत्रित करने, मूल्य तालिका के आधार पर आपूर्ति लेने संबंधी आरोप प्रमाणित पाये गये।

(3) अतएव संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के असहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्रांक 1021 दिनांक 1.6.96 के द्वारा कारण पृच्छा की गई । श्री विभागीय स्तर पर की गई एवं इन्हें दोषी पाया गया तथा इन्हें निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार श्री तिरकी को निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है।

(1) निंदन जिसकी प्रविष्टि वर्ष 89-90 की चारित्री में की जायेगी।

(2) दो वार्षिक वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(3) क्षति पहुंचाई गई राशि 8,650/- रूपये की वसूली जो 1,000/- (एक हजार) रूपये प्रतिमाह की दर से 8 (आठ) किस्तों में किया जायेगा एवं अंतिम किस्त 650/- (छः सौ पचास) रूपये का होगा।

(4) निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा, लेकिन उक्त अवधि की गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

निलम्बन से मुक्त होने के उपरांत श्री तिरकी मुख्यालय (पटना) में योगदान देंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भृगुनाथ द्विवेदी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/रांची/विशेश सचिव के सचिव/वित्त विभाग(वैयक्तिक दावा कोषांग), पटना/उप सचिव (श्री बी.एन. प्रसाद/अवर सचिव श्री रामस्वरूप सिंह)/प्रशाखा पदाधिकारी-7,8, 12, एवं 22, जल संसाधन विभाग एवं श्री नीलमणी तिरकी, सहायक अभियंता (नि.) द्वारा मुख्य अभियंता, पी.पी. सेल, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(भृगुनाथ द्विवेदी)

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।

सं. 22/नि.सि. (डा.) 13-1037/94 54 / पटना, दिनांक- 27/1/1997ई.।

आदेश

श्री अशोक कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल, बरवाडीह के पदस्थापन अवधि दिनांक 17.5.89 से 6.1.90 एवं 24.8.87 से 24.9.87 के बिच केन्द्रीय शिविर प्रमंडल बरवाडीह के गोदाम में उपलब्ध सिमेंट के रिषकलिंग एवं रिहैण्डलिंग पर 3,48,590 रूपये, रेलवे वैगन से सिमेंट उतारकर बरवाडीह में रखने में दिनांक 24.4.89 से 21.1.90 के बीच 2,52,831/- रूपया तथा वरवाडीह गोदाम से मंडल एवं अन्य स्थानों में सिमेन्ट की कुल ढुलाई पर दिनांक 29.4.89 से 21.9.89 तथा 28.8.87 से 24.9.87 के बीच 3,46,115 रूपया, तिरपालों की आपूर्ति के मद में दिनांक 12.5.89 से 1.11.89 एवं 25.5.87 से 24.8.87 के बीच 3,97,787 रूपया, विद्युत संबंधी सामानों की आपूर्ति में दिनांक 30.4.89 से 12.1.90 के बीच 5,75,067=37 रूपये, तथा स्वच्छता एवं जलापूर्ति संबंधी सामानों की आपूर्ति पर दिनांक 30.6.89 से 12.1.90, 28.7.87 से 23.9.87 के बीच 9,13,297=05 रूपये की व्यय किया गया है। उक्त कार्य को कराने तथा सामानों की आपूर्ति बिना उच्चाधिकारीयों के आदेश, बिना प्राक्कलन स्वीकृति, बिना खूली निविदा आमंत्रित कराये निबिदा को छोटे-छोटे टुकड़े में बांटकर सरकार को वित्तीय क्षति पहुंचाने एवं अन्याय कदाचारों के लिए प्रथम द्रष्टया दोषी पाये जाने के कारण विभागीय आदेश संख्या 53 दिनांक 7.3.92 के द्वारा निलम्बित किया गया एवं विभागीय संकल्प संख्या-1163 दिनांक 2.6.92 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

(2) संचालन पदाधिकारी से विभागीय काय्रवाही का जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में उन्हें निर्दोष कहा, लेकिन संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरांत निम्नांकित कारणों से संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त की गई:-

निविदा को छोटे-छोटे टुकड़े में विभक्त करने, निविदा आमंत्रण में निर्धारित प्रक्रियों का उल्लंघन करने, बिना प्राक्कलन स्वीकृति के निविदा आंमत्रित करने, मूल्य तालिका के आधार पर आपूर्ति लेने संबंधी आरोप प्रमाणित पाये गये।

(3) अतएव संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्रांक 2445 दिनांक 11.11.96 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई, लेकिन श्री सिंह से वित्तीय कारण पृच्छा का उत्तर निर्धारित अवधि के अंदर प्राप्त नहीं है। श्री सिंह की उपर्युक्त आरोपों के लिए दोषी पाये जाने पर सरकार द्वारा इन्हें मुक्त करते हुए निम्नांकित दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया। अत: श्री सिंह को निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है:

(1) निंदन जिसकी प्रविष्टि श्री सिंह वर्ष 89-90 की चारित्री में की जाएगी।

(3) तीन वार्षिक वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(3) क्षति पहुंचाई गई राशि 43,250/- रूपये की वसूली जो 1000 हजार प्रति माह की दर से 42 किस्तों में तथा अंतिम किस्त 1250 रूपये की होगी।

(4) निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं हो लेकिन इसकी गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

निलंबन से मुक्त होने के उपरांत श्री सिंह मुख्यालय (पटना) में योगदान।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(भृगुनाथ द्विवेदी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार पटना/रांची/ विशेष सचिव के सचिव/सचिव प्रमुख, जल संसाधन विभाग/ सभी मख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ वित्त विभाग दावा निर्धारण कोषांक, पटना/ उप सचिव, प्रभारी, प्रशाखा-7/अवर सचिव (श्री सिंह,) जल संसाधन विभाग, प्रशाखा पदाधिकारी -7,8,12 से 22 तथा श्री अशोक कुमार सिंह, सहायक अभियंता (नि.) द्वारा अभियंता, पी.पी. सेल, जल संसाधन विभाग के सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु.प्रेषित।

(भृगुनाथ द्विवेदी)

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

सं22/नि.सि. (डा.) 13-1037/94 53 / पटना, दिनांक - 22/1/1997 ई.।

आदेश

श्री विष्णु दयाल सिंह तत्कालीन सहायक अभियंता, केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल, बरवाडीह के पदस्थापन अवधि 17.5.89 से 6.1.90 एवं 24.8.87 से 24.9.87 के बीच केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल बरवाडीह के गोदाम में उपलब्ध सिमेंट का रिसकलिंग एवं रिहैण्डलिंग पर 3,48,590 रूपये रेलवे बैगन से विमेंट उतार कर वरवाडीह गोदाम में रखने में दिनांक 24.5.89 से 21.1.90 के बीच 2,52,831 रूपया तथा वरवाडी गोदाम से मंडल एवं अन्य स्थानों पर ढुलाई पर दिनां 29.4.89 से 21.9.89 तथा 24. 8.87 से 24.9.87 के बीच 3,46,115 रूपये, तिरपालों की आपूर्ति के मद में दिनांक 12.5.89 से से 1. 11.89 एवं 25.5.87 से 24.8.87 के बीच 3,97,787 रूपये, विद्युत संबंधी सामानों का आपूर्ति में दिनांक 30.4.89 से 12.1.90 के बीच 5.75.067=37 रूपये तथा स्वच्छ एवं अलापूर्ति संबंधी सामानों की आपूर्ति पर दिनांक 30.6.89 से 12.1.90, 28.7.87 से 23.9.87 के बीच 9,13,297=03 रूपये व्यय किया गया। उक्त कार्य को कराने तथा समानों की आपूर्ति बिना उच्चाधिकारियों के आदेश, बिना प्राक्कलन की स्वीकृति बिना वसूली निविदा आमंत्रित कराये, निविदा को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर सरकार को वित्तीय क्षति पहुंचाने एवं अन्याय कदाचारों के लिए विभागीय आदेश संख्या 56 दिनांक 7.3.92 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई। संचालन पदाधिकारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में इन्हें निदोर्ष कहा, लेकिन संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच, प्रतिवेदन की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरांत निम्नांकित कारणों से संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त की गई। निविदा को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त करने, निविदा आमंत्रण में निर्धारित प्रक्रियों का अनुपालन नहीं करने, बिना प्राक्कलन स्वीकृति के निबिदा आमंत्रित करने, मूल्य तालिका के आधार पर आपूर्ति लेने संबंधी आरोप प्रमाणित पाये गये।

(3) अतएव संचालन पदाधिकारी जांच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्रांक 2433 दिनांक 11.11.96 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की सम्यक समीक्षा पुनः सरकार के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरांत इन्हें दोषी पाया

गया, तथा निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दंड संसूचित करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार श्री सिंह को निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता है-

(1) निदंन जिसकी प्रविष्टी इनकी वर्ष 89-90 की चारित्री में दर्ज की जायेगी।

(2) तीन वार्षीक वेतन वृद्धियां पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(3) क्षति पहुंचाई गई राशि 25,950 रूपये की वसूली जो 1000 (एक हजार) रूपये प्रति माह की दर से 25 किस्तों में तथा अंतिम किस्त 950 (नौ सौ पचास रूपये) का होगा।

(4) निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा, लेकिन इसकी गणना पेंशन प्रयोजनार्थ की जायेगी।

निलम्बन से मुक्त होने के उपरांत श्री सिंह मुख्यालय (पटना) में योगदान देंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भृगुनाथ द्विवेदी)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : /पटना, दिनांक 1997 ई.

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/रांची/विशेष सचिव के सचिव/ सभी अभि. प्रमुख जल संसाधन विभाग/ सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/ उप सचिव (श्री बी.एन.प्रसाद) अवर सचिव श्री रामस्वरूप सिंह (जल संसाधन विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7,8,12 एवं 22 तथा श्री विष्णु सिंह, सहायक अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता पी.पी. सेल, पटना की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(भृगुनाथ द्विवेदी)

सरकार के उप सचिव।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग ।

संख्या 22 नि०सि०(डा० 13-1037/94- 38 / पटना, दिनांक 16 / 1 / 97 ।

आदेश

श्री मदन प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमण्डल, बरवीडीह सम्प्रति निलम्बित का केन्द्रीय भंडार एवं शिविर पुमण्डल बरवाडीह में अवस्थापन अवधि में निनांक 17/5/81 से 6/1/90 एवं 24/8/87 से बीच केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमण्डल, वरवाडीह के गोदाम में उपलब्ध सीमेन्ट के रिसफलिंग एवं रिहेन्बलिम पर 3,48,570 /- रूपये, रेलवे वेगन से सिमेन्ट उतार कर बरवाडीह गोदाम में रखने को दिनांक 24/4/89 से 21/1/90 के बीच 2,52,931/- रूपया तथा बरवाडीह गोदामं से मंडल एवं अन्य स्थानों में ढुलाई पर दिनांक 29/4/81 से 21/9/81 तक तथा 28/8/87 से 24/2/87 से बीच 3,46,115/- रूपया, तिलपालों के आपूर्ति के मद में दिनांक 12/5/81 से 1/11/81 एवं 25/5/87 से 24/8/87 के बीच 3,17,787-00 रूपये विधुत सम्बन्धी समानों के आपूर्ति के मद में दिनांक 30/4/81 से 12/1/90 से बीच 5,75,067-67 रूपये तथा स्वछता एवं जलापूर्ति सम्बन्धी सामानों की आपूर्ति पर दिनांक 30/6/89 से 12/1/90, 28/7/89 से 30/9/87 के बीच 9,13,297-05 रूपये का व्यय किया गया । उक्त कार्य को कराने तथा सामानों की आपूर्ति बिना उच्चाधिकारियों के आदेश, बिना प्राकलन स्वीकृति, बिना खुली निविदा आमंत्रित कराये, निविदा को छोटे - छोटे टुकड़े में बांटकर सरकार को वित्तीय क्षति पहूँचाने एवं अन्याय कदाचारों के लिए प्रथम दोषी पाये जाने के फलस्वरूप विभागिय आदेश संख्या - 57 दिनांक 17/3/92 के द्वारा निलम्बित किया गया एवं विभागीय संकल्प संख्या पदाधिकारी से विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हूआ । जॉच प्रतिवेदन के अनुसार ''स्वच्छता एवं जलापूर्ति से सम्बन्धित सामानों को आपूर्ति बिना उच्चाधिकारियों के आदेश, बिना प्राकलन की स्वीकृति, बिना खुली निविदा आमंत्रित करायें, निविदा को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाटकर काम करानं, छोटे-छोटे विपत्र का भुगतान कर सरकारी राजस्व की क्षति पहूँचाने एवं उन्यान्य कदाचारों के आरोप श्री सिंह पर स्थापित नहीं होता है ।'' जॉच प्रतिवेदन के सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा निम्नांकित करणों से जॉच पदाधिकारी के मत से असहमति व्यक्त की गई ।

निविदा के छोटे - छोटे टुकड़े में विभक्त करने, निविदा आमंत्रण में निर्धारित पक्रियों का उल्लंघन करने, बिना प्राकलन स्वीकृति के निविदा आमंत्रित करने, मूल्य तालिका के आधार पर आपूर्ति लेने सम्बनधी आरोप प्रमाणित पाये गये ।

अतएव संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए विभागयि संख्या 22 दिनांक 1/6/96 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई । श्री सिंह से प्राप्त कि गयी कारण पृच्छा को सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं श्री सिंह को उपर्युक्त आरोपो के लिए दोषी पाया गया । इस बीच

श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लू० जे०सी०नं०-3998/96 मदन प्रसाद सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया, जिससे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17/12/96 को पारित फैसले में यह निदेश दिया गया सिंह के विरूद्ध चलाई गई विभागीय कार्यवाही का निष्पादन चार सप्ताह के भीतर पूरी कर के बिहार सरकार द्वारा श्री सिंह को उपर्यूक्त आरोपों के लिए दोषी पाये जाने के कारण आदेश निर्गत होने की तिथि से निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दंड संराचित करने का निर्णय लिया गया है :-

(1) "निन्दन" जिसकी प्रविष्टि वर्ष 89-90 चारिदी में दर्ज की जायेगी।

(2) तीन वार्षिक वेतनवृदिधयों पर संचलात्मक प्रभाव से रोक रहेगी ।

(3) क्षति पहूँचाई गई राशि 43,250/- रूपये की बसुली जो 1,000/- (एक हजार) रूपये प्रतिमाह की दर से 42 (वयालीस) किश्तों में तथा अग्रिम किश्त 1,250/- (बारह सौ पचास) रूपये का होगा ।

(4) निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा लेकिन इसकी गणना पेशन प्रयोजनार्थ की जायगी ।

श्री सिंह मुख्यालय में योगदान देंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(भृगुनाथ द्विवेदी)

सरकार के उपसचिव ।

पत्रांक .... दिनांक ....

प्रति लिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना/राँची/विशेष सचिव के सचिव /सभी अभियन्ता (वैयक्तिक दावा कोषांग), पटना/उपसचिव (श्री वी०एन०प्रसाद) जल संसाधन विभाग पटना / अवर सचिव (श्री राम स्वरूप सिंह), जल संसाधन विभाग, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी - 7,8,12 एवं 22 तथा श्री मदन प्रसाद सिंह, सहायक अभियंता द्वारा मुख्य अभियंता पी० पी० सेल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्रवाई हेतू प्रेषित ।

(भृगुनाथ द्विवेदी)

सरकार के उपसचिव ।

(50)

अतएव संचालन पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए विभागिय ......022 दिनांक 1-6-96 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई । श्री सिंह से प्राप्त वितीय कोष्ठ को समयक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं श्री सिंह को उपर्युक्त आरोपों के कारण पाया गया । इस बीच श्री सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी०डब्लु०जे०............... -3998/96 मदन प्रसाद सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 17-12-96 को पारित करने में यह निदेश दिया गया कि श्री सिंह के विरूध चलाई गई विभागीय कार्यवाही का निष्पादन चार सप्ताह के भीतर पुरी की जाय । बिहार सरकार द्वारा श्री सिंह को उपर्यूक्त आरोपों के लिए दोषी पाये जाने के कारण दिन निर्गत होने की तिथि रो निलम्बन रो मुक्त करते हुए निम्नांकित दंड रांराचित करने को निर्नय लिया गया है ।

(1) निन्दन '' जिसकी प्रविष्टि वर्ष 81-90 चारिवों में दर्ज की जायेगी ।

(2) तीन वार्षिक वेतनवृदिधयों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक रहेंगी ।

(3) क्षति पहुँचई गई राशि 43,250/- रूपये की वराली जो 1,000/- (एक हजार रूपये प्रतिमाह की दर से 42 (वयालीरा) किश्तों में तथा अग्रिम किश्त1,250/- (बारह रो प्रचारा) रूपये का होगा ।

(4) निलम्वन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा लेकिन इसकी गणना प्रेंशन पयोजनार्थ की जायगी ।

श्री सिंह मुख्यालय में योगदान देंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(भृगुनाथ द्विवेदी)

सरकार के उपसचिव ।

पत्रांक .... दिनांक ....

प्रति लिपि - महालेखाकार, बिहार, पटना / राँची / विशेष सचिव के सचिव / सभी अभियन्ता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, पटना / सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग / वित्त विभाग (वयक्तिक दावा कोषांक), पटना / उप सचिव (श्री वी०एन०प्रसार) जल संसाधन विभाग, पटना / अवर सचिव (श्री राम स्वरूप सिंह), जल संसाधन विभाग, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी - 7,8,12 एवं 22 तथा श्री मदन प्रसाद सिंह, सहायक अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता, पी०पी० सेल, पटना को सचनार्थ एवं अवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(भृगुनाथ द्विवेदी)

सरकार के उप सचिव ।

बिहार सरकार,

जल संसाधन विभाग ।

सं०22/नि०सि०(डा०) 3-10,97/94 33 /पटना, दिनांक - 10/01/1997 ई० ।

आदेश

श्री शहनवाज खाँ, तत्कालीन सहाक अभियता, केन्द्रीय मंडाल एवं शिविर प्रमंडल, बरवाडीह के पदस्थापन अवधि में दिनांक 17-5-89 से 6-1-90 एवं दिनांक - 24-8-87 से 24-9-87 के बीच केन्द्रीय भंडार एवं शिविर प्रमंडल, बरवाडीह के गोदाम में उपलब्ध सिमेन्ट के रित्कालिंन तथा हण्डलिंग पर 3,48,570/एवं ऐ, रेलवे वेगन से सिमेन्ट उतारकर वरवाडीह गोदाम में रखने में दिनापंक 24.4.89 से 21.1.90 के बीच 2,52,631/ संख्या वरवाडीह गोदाम से मंडल एवं अन्य स्थानों में ढुलाई पर दिनांक - 29.4.89 से 21.9.89 तथा

दिनांक 24.8.87 से 24.9.87 के बीच 3,46,115/ रू० विनी तिरमालों की आपूर्ति के वर्ष में, दिनांक 12. 5.89 से 1.11.89 एवं 25.5.87 से 24.8.87 के बीच 3,97,787/ स्थायी विधुत संबंधी सामनों की आपुर्ति में, दिनांक 30,4,89 से लेकर 12.1.90 के बीच 5,75,067=37 .... तथा स्वथ्छतों एवं आपूर्ति संबंधी समानों की आपूर्ति पर दिनांक 30.6.89 से 12.1.90 दिनांक 28.7.87 से 23.9.87 वर्ष के बिच 8.13.297=05 रूपये का वचत किया गया । उक्त कार्य को कराने तथा समानों की आपूर्ति करने आपूर्ति बिना उच्चाधिकारी के आदेश बिना प्रक्लन स्वीकृति, बिना पुरी निविदा आमंत्रित कराये निविदा को छोटे-छोटे टुकडो में बटवाकर सरकार को, वित्तीत क्षति पहूँचाने एवं अन्याय कदाचारों के लिए प्रथम द्रष्टवा दोषी पाये जाने के फलस्व विभागीय आदेश संख्या -55 दिनांक 1.3.92 के निलम्बित किया गया एवं विभागीय संकल्प संख्या 1158 दिनांक 1.6.92 के द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कि गई ।

(1) संचालन पदाधिकारी से विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जॉच प्रतिवेदन के अनुसार इन्हें दोप्मुक्त किया गया है । जिसकी संम्वध समीक्षा सरकार के स्तर की गई एवं समीक्षोपरान्त सरकार द्वारा निम्नांकित कारणों से वंचित पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त की गई ।

(2) निविदा को छोटे - छोटे टुकड़ो में विभक्त करने, निविद्रा आमंत्रण में निर्यारित प्रक्रियां का उल्लेघन करने, बिना प्राक्कलन स्वीकृति के निविदा आमंत्रण करने, मुल्य तालिका के आधार पर आपूर्ति लेने संबंधी आरोप प्रभाणित पाये गये ।

(3) अतएव संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हूँ विभागीय पत्रांक 549 दिनांक 23.3.96 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई । श्री खाँ से प्राप्त द्वितीय कारण पूच्छा की सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं श्री खाँ को उपर्युक्त आरोपों के लिए दोषी पाया गया । उस बीच श्री खाँ द्वारा माननीय उच्य न्यायालय, पटना में सी०डब्लु०के०सी० नम्बर 1353/96 श्री शहनवाज खाँ वनाम राज्य सरकार एवं अन्य दावर किया गया । जिसमें माननीय उच्च न्यांयालय द्वारा दिनांक 22.

11.96 को पारित फैसले में यह निदेश दिया गया कि श्री खाँ के मामले को सात सप्ताह से अन्दर अतिम रूप से निष्पादित किया जाय । तदनुसार सरकार द्वारा श्री खाँ को उपर्युक्त आरोपो के लिए दोषी पाये जाने के कारण आदेश निर्गत की तिथि से निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्नांकित दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया है ।

(1) ''निन्दनय जिसकी प्रविष्टि वर्ष 89-90 की चारित्री में दर्ज की जायेगी ।

(2) दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर संचयांत्मक प्रभाव से रोका जाता है ।

(3) निलम्बन अवधि में जिवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा, लेकिन उसकी गणना पेंशन प्रयोजनाई कर्त्तव्य पर मानी जायेगी ।

(4) क्षति पहूँचाई गई राशि 17,3007 रूपये की बसूली जो 1000/- (एक हजार) प्रतिमाह की दर से 16 किस्तों में तथा किस्त 1300/- (तेरह सौ) का होगा ।

श्री खाँ मुख्यालय में योगदान देगें ।

(बिहार राज्यपाल के आदेश से)

(भृगुंनाथ द्विवेदी)

सरकार के उपसचिव ।

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/राँची/विदेश/सचिव के सचिव /सभी अभियंता प्रमुख जल संसाधन विभाग, पटना /सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग /वित्त विभाग, वैयक्तिक दावा कोषांक पटना/उपसचिव (श्री बी०एन०प्रसाद) जल संसाधन विभाग अवर सचिव (श्री रामस्वरूप सिंह) जल संसाध न विभाग, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी,-7,8,12 एवं 22 एवं श्री शहनवाज खाँ द्वारा मुख्य अभियंता, पी०पी०सेल, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित ।

(भृगुनाथ द्विवेदी)

सरकार के उप सचिव ।

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,

सारण नहर अंचल, छपरा ।

पत्रांक:...................... कैम्प, सिवान, दिनांक 26 मई, 1996

सेवा में,

मुख्य अभियंता,

जल संसाधन विभाग, सिवान ।

विषय: लोक लेखा समिति की कडिका 4.13/89-90 (सिविल) के संबंध में ।

प्रसंग: इस कार्यालय के पत्रांक 135 दिनांक 24/1/96

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के क्रम में सुचित करना है कि दिनांक 26/5/96 को मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, गंडक योजना, एकवा की उपस्थिति में समीक्षा की गई । समीक्षोपरान्त निम्नलिखित तथ्य सामने आया-

1 - पूर्व में कार्यपालक अभियंता, सारण नहर प्रमंडल, गंडक योजना एकमा द्वारा जिन कर्मचारियों को अतिरेक (सरपल्स) धोषित किया गया था वास्तव में अतिरेक नहीं थे बल्कि उनसे यथासमय सारण नहर प्रमंडल, एकवाँ के अन्तर्गत नहर से संबंधित निर्माण कार्य एवं उसके संचालन में संलग्न रखा गया ।

2 - अतिरेक कर्मचारी उन्हीं को कहा जायेगा जिससे कोई कार्य न लेकर वेतन का भुगतान किया जाय तथा इस प्रकार के व्यय वेस्टफूल कहे जायेंगे पर ये कर्मचारीगण ऐसे गया ।

3 - पूर्व में प्रतिवेदन अतिरेक कर्मचारियों की सुची निम्न प्रकार है जो सैद्धान्तिक रूप से अतिरेक नहीं है :

(क) श्री देव नारायण सिंह, पम्पऑपरेटर
(ख) श्री श्यामलाल साह, पम्पऑपरेटर
(ग) श्री हरिनारायण प्रसाद, ट्रेक्टर खलासी
(घ) श्री कृप्या सिंह, मिम्सचर चालक
(च) श्री आश मोहम्मद, ग्रेडर ऑपरेटर
(छ) श्री राम चरितर महतो, ट्रेक्टर चालक
(ज) श्री भोज राज, ट्रेक्टर चालक
(झ) श्री इन्द्रासन शर्मा, ड्रेक्टर

4 - (क) श्री देव नारायण सिंह, पम्प ऑपरेटर से नजर की देखरेख का कार्य लिया जा रहा है ।

(ख) श्री श्यामलाल साह, पम्पऑपरेटर से नहर के गेट के ऑपरेशन का कार्य लिया जाता है ।

(ग) श्री हरिनारायण प्रसाद, ट्रेक्टर खलासी से नहरों के रख-रखाव का कार्य लिया गया ।

(घ) श्री कृत्यॉनन्द सिंह, मिक्सचर चालक वर्ष 1982 में समायोजित होकर पत्राचार लिपिक के पद पर अन्य स्थानान्तरितत होकर चले गये ।

(च) श्री आश मोहम्मद, ग्रेडर ऑपरेटर वर्ष 1991 के जून माह में सेवा निवत्त हो गये ।

(छ) श्री राम चरितर महतो, ट्रेक्टर चालक दिनांक को स्थानान्रित होकर सारण नहर प्रमंडल, छपरा

चले गये तथा सेवा निवृत्त भी हो गये हैं।

(ज) श्री भोज राज, ट्रेक्टर चालक वर्ष 1987 के दिसम्बर से सेवा छोड़कर चले गये ।

(झ) श्री इन्द्रासन शर्मा, ट्रेसर-से दो माह बाद सेवा निवृत्त होनेवाले है इनसे समय-समय पर चिकित्सा के लिए फर्स्टएड के रूप में कर्मचारियों के बीच सेवा ली जाती है ।

इस प्रकार यह सैद्धान्तिक रूप से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्व में प्रतिवेति अतिक्ति घोषित कर्मचारी बिना कार्य के वेतन प्राप्त करते रहे है, सही नहीं है।

कार्यपालक अभियंता,
सारण नहर प्रमंडल, गं०यो०, एकमा ।

विश्वासभाजन
अधीक्षण अभियंता,
सारण नहर अंचल, छपरा ।

पत्रांक – 19 लोक –2–41/195–210

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रषेक :

ई०मो० अहमद,

अभियंता प्रमुख (उत्तर) ।

सेवा में :

ई० नमोनाथ मिश्र,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, सीवान ।

पटना, दिनांक 18 नवम्बर 1996 ।

विषय : भारत के नियंत्रक एवं महालखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 89–90 की कठिका 4–16 के सम्बन्ध में ।

महाशय,

जो जीस जाति कर्मचारी बहुआरी से एकमा में पदस्थापित हुए थे उनके पद का व्योरो कृप्या है । उनसे लिये गये कार्या को भी संदिप्त व्योरा प्रस्तुत करना चाहिए । इसका उतर 15 दिनांक के भीतर देना चाहेंगे ।

विश्वासभाजन,

(मो० अहमद)

अभियता प्रमुख (उत्तर) ।

कैमुर जगमोहन ऑफसेट प्रेस पटना-4 द्वारा मुद्रीत